[2020] 2 एस. सी. आर. 1047

अंकित अशोक जालान

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 362)

04 मार्च, 2020

[उदय उमेश ललित, इंदु मल्होत्रा

और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और रोकथाम

तस्करी गतिविधि अधिनियम, 1974: एस. 3 (1)-एस. के तहत किया गया निरोध आदेश। 3 द्वारा उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी द्वारा

सरकार-क्या प्रतिनिधित्व स्वतंत्र रूप से हो सकता है

हिरासत प्राधिकरण द्वारा किया गया और उस पर विचार किया जाना चाहिए जो संबंधित सरकार का एक विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी है और क्या कुछ परिस्थितियों में निरोध प्राधिकरण को

सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार स्थगित करें-आयोजितः (प्रति बहुमत) जहां अन्य बातों के साथ-साथ एस के तहत निरोध आदेश दिया जाता है। 3 केंद्र सरकार या राज्य द्वारा उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा

सरकार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक बनाने का अधिकार है

उक्त अधिकारी को अभ्यावेदन; और उक्त अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है; और ऐसा करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अभ्यावेदन देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा-एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जो विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए निरोध का आदेश पारित करता है, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है

सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने के स्तर पर निभाने के लिए वैधानिक भूमिका-रिपोर्ट पर विचार करना है

उपयुक्त सरकार और विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं-एस के संदर्भ में। 8 , सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट केवल उपयुक्त सरकार के उपयोग के लिए है और रिपोर्ट के परिचालन भाग के अलावा, जिसे उप-धारा (सी) के अनुसार एक अलग पैराग्राफ में निर्दिष्ट किया जाना है, उप-धारा (ई) के संदर्भ में अधिदेश सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखना है-इस प्रकार, एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जिसने पारित किया होगा

न ही क़ानून इस तरह के लिए किसी विशेष भूमिका पर विचार करता है। की राय पर विचार करने के चरण में अधिकार प्राप्त अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सलाहकार बोर्ड-इस प्रकार, निरोध प्राधिकरण केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य है-तत्काल मामले में, 27.11.2019 से 14.01.2020 तक निरोधकों के प्रतिनिधित्व पर विचार न करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं था-इसलिए, प्रतिनिधित्व पर विचार करने में निरोध प्राधिकरण की ओर से पूर्ण निष्क्रियता ने निरोधकों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया-निरोध आदेशों को रद्द कर दिया जाता है-(असहमति-प्रति हेमंत गुप्ता, जे।) एस. 3 केंद्र सरकार, राज्य को सशक्त बनाता है।

सरकार या विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी एक आदेश देने के लिए, एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश देते हुए-एक बार जब निरोध आदेश हो जाता है

एस के संदर्भ में हिरासत में लेने के लिए सक्षम अधिकारियों में से किसी द्वारा बनाया गया था। 3 (1) , निरोध आदेश को निरस्त करने की मांग करने के लिए प्रतिनिधित्व

हिरासत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है जो सलाहकार बोर्ड के निर्णय और स्वीकृति को अस्वीकार करता है

उपयुक्त सरकार द्वारा अनुशंसा-निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए विचार इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या आदेश कानून के प्रावधानों के अनुरूप है, जबकि

सलाहकार बोर्ड की सिफारिश निरोध के लिए सामग्री की पर्याप्तता पर है, जिसकी या तो पुष्टि की जाती है या उपयुक्त सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है-यह निरोध प्राधिकरण के लिए विवेक और औचित्य का विषय होगा कि वह निरोध आदेश को रद्द करने के प्रतिनिधित्व पर निर्णय को स्थगित करे, जब मामला उच्च न्यायालय के तीन वर्तमान न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा हो। इन परिस्थितियों में निरोध प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी नहीं की जा सकती क्योंकि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था।

रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:

उदय उमेश ललित, जे. (अपने और इंदु मल्होत्रा के लिए,

जे.)

1. जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से एक अधिकारी द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के तहत निरोध आदेश दिया जाता है।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए सशक्त, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उक्त अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार है; और उक्त अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है; और ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान v.

भारत और ओआरएस का संघ।

ऐसा करने से व्यक्ति को दिए गए अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रतिनिधित्व करने के लिए हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, का ऐसा अधिकार

सरकार। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि तत्काल मामले में निरोध के आधारों का पैरा 12 इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के अनुरूप है। [पैरा 12] [1079 डी-जी] 2.1 पंकज कुमार चक्रवर्ती में, यह कहा गया था कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने का सरकार का दायित्व है

इस बात की परवाह किए बिना कि मामला सलाहकार मंडल को भेजे जाने से पहले या बाद में प्रतिनिधित्व किया गया था। जैसा कि पैराग्राफ 18 में कहा गया है, यह इसलिए कहा गया था, क्योंकि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में कोई भी देरी न केवल उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से एक गैर-जिम्मेदाराना कार्य होगी, बल्कि असंवैधानिक भी होगी। द. आकस्मिकता कि क्या अभ्यावेदन पहले या बाद में प्राप्त हुए थे, हरधन साहा में निर्णय के पैरा 29 में फिर से विचार किया गया था। इन सिद्धांतों के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के मामले को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जा सकता हैः

ए) यदि अभ्यावेदन बहुत पहले प्राप्त किया जाता है सलाहकार बोर्ड को संदर्भ दिया जाता है और हो सकता है

उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया गया,

अभियान के साथ प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय के साथ अभ्यावेदन को सलाहकार मंडल के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेजों को भेजा जाएगा और उनका हिस्सा होना चाहिए।

बी) यदि प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए जाने से ठीक पहले प्राप्त होता है और प्रतिनिधित्व तय करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो

जयनारायण सुकुल और हरधन साहा में निर्धारित कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व पहले तय किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रतिनिधित्व और निर्णय को भेजा जाना चाहिए।

सलाहकार मंडल। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपयुक्त सरकार द्वारा विचार पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह भी कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

ग) यदि प्रतिनिधित्व संदर्भ दिए जाने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले पर निर्णय लेने से पहले, हरधन साहा में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, प्रतिनिधित्व पर निर्णय लिया जाना चाहिए। निर्णय के साथ-साथ उसके बाद प्रतिनिधित्व भी तुरंत होना चाहिए।

सलाहकार मंडल को भेजा गया।

सलाहकार मंडल को। ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 15] [1096 बी-एच;

1097 - ए]

2.2 उपरोक्त के पहले और चौथे चरण में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। श्रेणियाँ। दूसरे और तीसरे चरण में सिद्धांतों के अनुप्रयोग के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उस कठिनाई को दूर कर लिया गया।

जयनारायण सुकुल और हरधन साहा में पर्याप्त स्पष्टता के साथ। यदि यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर अत्यधिक अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए; और सरकार की शक्ति सलाहकार बोर्ड की शक्ति से पूरी तरह से स्वतंत्र है; और विचार का दायरा भी गुणात्मक रूप से अलग है, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार द्वारा विचार को सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपरोक्त मामलों में से किसी ने भी दूर से यह सुझाव नहीं दिया कि सलाहकार मंडल से रिपोर्ट प्राप्त होने तक विचार का इंतजार करना चाहिए। हालाँकि, यह पहली बार था कि के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय ने पैराग्राफ 16 में निर्धारित किया कि उक्त पैराग्राफ में निपटी गई दो स्थितियों में सरकार के लिए बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना उचित होगा। ये दो स्थितियाँ हैं: - क) जहाँ मामले को भेजे जाने से पहले अभ्यावेदन प्राप्त किया जाता है -

सलाहकार बोर्ड और जहां मामले को भेजने से पहले अभ्यावेदन के निपटारे के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है

सलाहकार बोर्ड, और बी) जहां मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यह भी निर्धारित किया गया था: " दोनों स्थितियों में सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले अभ्यावेदन पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। चूंकि के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में इस न्यायालय का निर्णय इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अंकित अशोक जालान बनाम के बाद दिया गया था।

भारत और ओआरएस का संघ।

पंकज कुमार चक्रवर्ती, जयनारायण सुकुल और हरधन सहित इस मुद्दे पर पहले के सभी फैसलों पर विचार करना। हाँ, उसमें निर्धारित सिद्धांत बाध्यकारी हैं। [पैरा 16,17,18] [1097 बी-एच]

3. पंकज कुमार चक्रवर्ती और जयनारायण सुकुल में जिलाधिकारियों द्वारा हिरासत के आदेश पारित किए गए थे।

1950 अधिनियम की धारा 3 (ii) के तहत। संबंधित वैधानिक प्रावधानों ने जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित निरोध के ऐसे आदेशों के पारित होने के 12 दिनों के भीतर अनुमोदन की अवधारणा पर विचार किया। हरधन साहा में जिले द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था

मीसा के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट, जिसमें 12 के भीतर राज्य सरकार की ओर से अनुमोदन की समान अवधारणा

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरोध के आदेश के पारित होने के दिनों पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने कमलेश कुमार मामले में निर्णय के पैरा 34 में इस मामले में अंतर का उल्लेख किया था। इन निर्णयों में निरोध के आदेश किसी विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि संबंधित सरकार द्वारा पारित किए गए थे।

मानित अनुमोदन के संबंध में वही तर्क शुरू में सुशीला मफतलाल शाह में उन मामलों में विस्तारित किया गया था जहां हिरासत के आदेश संबंधित सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किए गए थे। हालाँकि, मामले को ठीक कर दिया गया था और उस संबंध में अंतर को संक्षेप में समझाया गया था। कमलेश कुमार। [पैरा 20] [1098 बी-ई]

4. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी मामलों में, उपयुक्त सरकार दो क्षमताओं में कार्य करेगी; एक प्रतिनिधित्व पर विचार करते समय और दूसरा सलाहकार बोर्ड से एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उचित निर्णय लेते समय कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। चूँकि निर्णय इन दोनों क्षमताओं में लिया जाना आवश्यक होगा, के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में यह देखा गया कि उपयुक्त सरकार के लिए सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक इंतजार करना उचित होगा। लेकिन हिरासत प्राधिकरण के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है जो एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी है। [पैरा 21] [1098 ई-जी]

5. एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जो विशेष सशक्तिकरण का प्रयोग करते हुए निरोध का आदेश पारित करता है, उसकी उस स्तर पर कोई वैधानिक भूमिका नहीं होती है जब रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर. से प्राप्त होती है।

सलाहकार मंडल। रिपोर्ट पर उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना है न कि विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा। यह हो सकता है सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी गोपनीयता के तत्व पर विचार करने के लिए भी इस स्तर पर प्रासंगिक होना चाहिए। धारा 8 के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट केवल उपयुक्त सरकार के उपयोग के लिए है और रिपोर्ट के संचालन भाग के अलावा जो उप-धारा (सी) के अनुसार एक अलग पैराग्राफ में निर्दिष्ट किया जाना है, संदर्भ में अधिदेश

उप-धारा (ई) का उद्देश्य सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखना है। इस प्रकार, एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जिसने वैधानिक इरादे से निरोध का आदेश पारित किया हो, उसे रिपोर्ट की जानकारी नहीं होनी चाहिए और न ही क़ानून सलाहकार बोर्ड की राय पर विचार करने के चरण में ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए किसी भी भूमिका पर विचार करता है। यह रिपोर्ट

सलाहकार बोर्ड उपयुक्त सरकार के लिए कुछ गुणात्मक जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी को कोई जानकारी नहीं दे सकता है जो निरोध प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। [पारस 22,23] [1098

जी-एच; 1100 डी-एफ]

6. जब के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही को 23.01.1991 पर तय किया गया था, तो हिरासत का आदेश पारित करने वाले एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी की भूमिका के बारे में जो निर्णय लिया गया था, वह सुशीला मफतलाल शाह में दिया गया था। जो कानून इस क्षेत्र को धारण कर रहा था, वह मानित अनुमोदन की अवधारणा थी जैसा कि सुशीला मफतलाल शाह में समझाया गया था और इस तरह के किसी भी प्रतिनिधित्व को समझाया गया था।

विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी जिसने आदेश पारित किया था 'सुशीला मफतलाल शाह' में निर्णय के संदर्भ में निरोध पर स्वयं उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है और नहीं

ऐसे विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा अलग से। अमीर शाद खान में बाद का निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 09.08.1991 पर दिया गया था और सुशीला मफतलाल शाह और अमीर शाद खान के बीच निर्णयों में स्पष्ट संघर्ष को कमलेश कुमार में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा हल किया गया था। 17.04.1995 पर प्रस्तुत किया गया, यानी के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय के बाद। इस प्रकार, यदि कानून अब यह तय करता है कि विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को एक अभ्यावेदन दिया जा सकता है, जिसने उस में निहित शक्ति के अनुसार निरोध का आदेश पारित किया था और अभ्यावेदन पर ऐसे निरोध प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना है, तो के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय के पैराग्राफ 16 में दिए गए संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ।

हिरासत प्राधिकरण द्वारा पहले से ही प्राप्त। 27.11.2019 पर पत्र प्राप्त होने के बाद कि हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत में प्राप्त किया गया था, प्रतिनिधित्व पर विचार करने का समय हिरासत प्राधिकरण के लिए टिक करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रतिनिधित्व पर केवल 14.01.2020 पर विचार किया गया था और इस तरह के विलंबित विचार का कारण यह है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया गया था। यह पहले से ही माना जाता है कि निरोध प्राधिकरण केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार, 27.11.2019 से लेकर अब तक प्रतिनिधित्व पर विचार न करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं था। 14.01.2020 . इसलिए, प्रतिनिधित्व पर विचार करने में निरोध प्राधिकरण की ओर से पूर्ण निष्क्रियता ने निरोधकों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया। [पैरा

26] [1101 ई-एच]

8. स्पष्ट द्विभाजन हो सकता है जब अभ्यावेदन ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए एक साथ किए जाते हैं जो

निरोध का आदेश पारित किया था और उपयुक्त को

सरकार। यदि हम के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही के अनुच्छेद 16 के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं तो उपयुक्त सरकार के लिए सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक इंतजार करना उचित होगा, जबकि साथ ही विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी जिसने निरोध प्राधिकरण के रूप में काम किया था, वह प्रतिनिधित्व पर अत्यधिक अभियान के साथ विचार करने के लिए बाध्य होगा। कभी-कभी हिरासत प्राधिकरण अर्थात् विशेष रूप से सशक्त अधिकारी और उपयुक्त [2020] 2 एस. सी. आर. को प्रतियों के साथ एक एकल प्रतिनिधित्व तैयार किया जाता है।

सरकार के साथ-साथ सलाहकार मंडल को भी। ऐसी स्थितियों में असंगति होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे किसी स्तर पर ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, इस तरह की कठिनाई या विसंगति इस धारणा का आधार नहीं हो सकती है कि एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी हिरासत प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए

के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही के अनुच्छेद 16 में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा भी शासित किया जाएगा। [पैरा 27] [1102 ए-डी]

9. चूंकि वर्तमान मामले में निरोध प्राधिकरण की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता थी, जिसके लिए एक प्रतिनिधित्व था

उपरोक्त तरीके से प्रतिनिधित्व से निपटने में, बंदियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और बंदियों को उस हिसाब से निवारण का अधिकार है। इसलिए, निरोध के संदर्भ में निरोधकों की निरंतर हिरासत

आदेशों को अवैध, अमान्य और असंवैधानिक माना जाता है। [पैरा 28] [1102 डी-एफआई

के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनाम। भारत संघ और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 476: [1991] 1 एससीआर

102 - अप्रयोज्य रखा गया

गुलाम विश्वास बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2015) 16 एस. सी. सी. 177; इब्राहिम बाचू बाफान बनाम। गुजरात राज्य और अन्य (1985) 2 एससीसी 24: [1985] 2 एस. सी. आर. 891; महाराष्ट्र राज्य और दूसरा v. श्रीमती. सुशीला मफतलाल शाह और अन्य (1988) 4 एस. सी. सी. 490: [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 827; अमीर शाद खान बनाम। एल. हमिंगलियाना और अन्य

(1991) 4 एससीसी 39: [1991] 3 एस. सी. आर. 443; कमलेशकुमार ईश्वरदास पटेल बनाम भारत संघ और अन्य [1951] एस. सी. आर. 167; पंकज कुमार चक्रवर्ती और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1969) 3 एससीसी 400: [1970] 1 एससीआर 543; फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा

(1980) 2 एस. सी. सी. 275 [1980] 2 एस. सी. आर. 1095; जयनारायण सुकुल (1970) 1 एस. सी. सी. 219: [1970] 3 एस. सी. आर. 225; हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1975) 3

एससीसी 198: [1975] 1 एससीआर 778-संदर्भित

प्रति हेमंत गुप्ता, जे। (असहमति)

1. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम को सशक्त बनाती है।

भारत और ओआरएस का संघ।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संयुक्त पद से नीचे के पद के विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी केंद्र सरकार के सचिव या राज्य के सचिव

सरकार, एक आदेश देने के लिए, एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश देती है। निरोध प्राधिकरण के पास सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 को देखते हुए निरोध आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जबकि एक उपयुक्त सरकार निम्नलिखित आदेश पारित करती है:

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरोध को निरस्त करना या निरोध के आदेश की पुष्टि करना। विचारणीय

निरोध प्राधिकरण के लिए, यह देखना है कि क्या निरोध आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है जबकि, सलाहकार बोर्ड इस बात की जांच करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करता है कि क्या निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार बोर्ड का विचार एक अतिरिक्त सुरक्षा है और उपयुक्त सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने का विकल्प नहीं है। [पैरा 3] [1103 बी-ई]

2. प्रतिनिधित्व के विचार का पहला भाग, कि क्या निरोध का आदेश शक्ति के अनुरूप है

कानून के तहत, यह भेद नहीं करता है कि क्या निरोध प्राधिकरण केंद्र या राज्य सरकार है या उस ओर से एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी है। विचारणीय निरोध प्राधिकरण द्वारा निरोध के लिए यह जांच करने तक सीमित है कि क्या निरोध का आदेश शक्ति के अनुरूप है

कानून के तहत। दूसरी ओर, सलाहकार बोर्ड जाँच करता है कि क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है। इसका अभ्यास

सरकार द्वारा अधिकारिता, एक निरोध प्राधिकरण के रूप में प्रतिनिधित्व के साथ व्यवहार करते हुए और सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करते हुए, दो अलग-अलग और अलग क्षेत्रों में है। [पैरा 4] [1103 ई-एच; 1104 ए]

3. के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही को ध्यान में रखते हुए, एक बार हिरासत में रखने के लिए सक्षम अधिकारियों में से किसी द्वारा हिरासत का आदेश दिया गया है।

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. अधिनियम की धारा 3 (1) की शर्तों के अनुसार, निरोध आदेश को रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकता है और हिरासत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो सलाहकार बोर्ड के निर्णय और उपयुक्त सरकार द्वारा सिफारिश की स्वीकृति को अस्वीकार करता है। निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए विचार इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या आदेश [2020] 2 एस. सी. आर.

कानून के प्रावधानों के अनुरूप है जबकि सलाहकार बोर्ड की सिफारिश सामग्री की पर्याप्तता पर है निरोध, जिसकी या तो पुष्टि की जाती है या उपयुक्त सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। [पैरा 22] [1115 ई-जी]

4. यह नजरबंदी के लिए विवेक और औचित्य की बात है।

निरोध आदेश को रद्द करने के अभ्यावेदन पर निर्णय को स्थगित करने का अधिकार, जब मामले पर उच्च न्यायालय के तीन वर्तमान न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा हो। इन परिस्थितियों में निरोध प्राधिकरण द्वारा अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी नहीं कही जा सकती क्योंकि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। [पैरा 23] [1115-जी; 1116-ए]

के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनाम। संघ भारत और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 476 [1991] 1 एस. सी. आर

102 उस पर भरोसा करें

जयनारायण सुकुल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1

एससीसी 219: [1970] 3 एस. सी. आर. 225; विमलचंद जवंतराज

जैन वी। श्री प्रधान और अन्य (1979) 4 एस. सी. सी. 401:

[1979] 3 एससीआर 1007; खैरुल हक बनाम। राज्य डब्ल्यू. बी.

कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा और अन्य (1980) 2 एस. सी. सी. 275 [1980] 2 एस. सी. आर. 1095; ओम प्रकाश बहल बनाम।

भारत संघ डब्ल्यू. पी. नं. 845 1979 का निर्णय लिया गया कि

भारत संघ और अन्य (1995) 4 एस. सी. सी. 51: [1995] 3 एस. सी. आर. 279; महाराष्ट्र राज्य और अन्न। वी. सुशीला

मफतलाल शाह और अन्य (1988) 4 एस. सी. सी. 490: [1988] 2

पूरक। एस. सी. आर. 827; अमीर शाद खान बनाम। एल. हमिंगलियाना और अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 39: [1991] 3 एससीआर 443; गोलम

बिस्वास वी. भारत संघ और दूसरा (2015) 16 एस. सी. सी.

177 संदर्भित किया गया है

मामला कानून संदर्भ

उदय उमेश ललित, जे। (2015) 16 एससीसी 177

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 एससीआर 102

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 4 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[1985] 2 एससीआर 891

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1988] 2 पूरक। एससीआर 827

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[1991] 3 एससीआर 443

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1995] 3 एससीआर 279

पै

रा 11

संदर्भित किया गया है

[1951] एससीआर 167

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1970] 1 एससीआर 543

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1980] 2 एससीआर 1095

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1970] 3 एससीआर 225

पैरा

13

संदर्भित किया गया है

[1975] 1 एससीआर 778

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

प्रति हेमंत गुप्ता, जे।

[1991] 1 एससीआर 102

उस पर भरोसा करें

पैरा

2

[1970] 3 एससीआर 225

पै

रा 5

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 1007

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1980] 2 एससीआर 1095

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

[1995] 3 एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

[1988] 2 पूरक। एससीआर 827

संदर्भित किया गया है

पैरा

16

[1991] 3 एससीआर 443

संदर्भित किया गया है

पै

रा 16

(2015) 16 एससीसी 177

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

पेटि

टन लिखें

न्यायनिर्णयः

आपराधिक मूल

(2019 का आपराधिक) No.362।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सौरभ कृपाल,

संजय अग्रवाल, करण भरियोके, निखिल रोहतगी, आशीष बत्रा, सार्थक सचदेव, वतन शर्मा, अमित के. नैन, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., शरत नांबियार, कानू अग्रवाल, विनायक

शर्मा, श्रीकांत पी. एस., सुश्री प्रियंका एस. भट, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

उदय उमेश ललित, जे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने के निर्देश के लिए दिनांक 1 01.07.2019and के निरोध आदेश को रद्द करने का अनुरोध करती है।

2. संक्षेप में, इस याचिका को दायर करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

(क) कोफेपोसा अधिनियम 2 की धारा 3 (1) के तहत विशेष रूप से सशक्त भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने 01.07.2019 पर पारित किया

निरोध आदेश इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि बंदियों को माल की तस्करी से रोकने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने की दृष्टि से,

और भविष्य में तस्करी किए गए माल को परिवहन या छिपाने या तस्करी करके रखने के अलावा तस्करी किए गए माल का सौदा करने के लिए उक्त निरोध आदेश देना आवश्यक था।

ख) बंदियों को निरोध आदेश के साथ सेवा दी गई थी,

निरोध के आधार और वे 02.07.2019 पर दस्तावेजों पर निर्भर थे। निरोध के आधार, पैरा 12 में, निम्नानुसार पढ़े गए हैंः

" आपको अपनी नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। निरोध प्राधिकरण, केंद्र सरकार के साथ-साथ सलाहकार बोर्ड को भी। यदि आप इस अधिकार का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको

जेल अधिकारियों के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व भेजें जहाँ आप हिरासत में लिए जाते हैं, नीचे बताए गए तरीके सेः

(क) निरोध प्राधिकरण के लिए प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) को संबोधित किया जाना चाहिए,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, छठी मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001।

(ख) केंद्र सरकार के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

महानिदेशक, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, छठी मंजिल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जाए।

Nos.PD-12001/34/2019-कोफेपोसा और PD-12001/35/2019-कोफेपोसा, दोनों दिनांक 01.07.2019, क्रमशः श्री अशोक कुमार जालान और श्री अमित जालान के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए।

2 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974

* एड। ध्यान दें: उदय उमेश ललित, जे. (अपने और इंदु मल्होत्रा, जे.) द्वारा दिया गया एक निर्णय। हेमंत गुप्ता, जे द्वारा दिया गया दूसरा निर्णय।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

(ग) सलाहकार बोर्ड के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए

अध्यक्ष को संबोधित करते हुए, कोफेपोसा सलाहकार बोर्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेर शाह रोड, नई दिल्ली-110002।

(ग) 18.07.2019 पर बंदियों के मामलों को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 3 को हिरासत के आधार के साथ भेजा गया था और दस्तावेजों पर भरोसा करें।

(घ) दोनों बंदियों की ओर से संयुक्त सचिव (सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए) को संबोधित 22.07.2019 अभ्यावेदन दिनांक 17.07.2019 पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को प्रेसीडेंसी सुधार गृह, अलीपुर, कोलकाता के माध्यम से प्राप्त किया गया। प्रतिनिधित्व में अन्य बातों के साथ कहा गया हैः

" 9 ..... (iii) मुझे जल्द से जल्द एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए, कृपया मुझे तुरंत प्रदान किया जा सकता है
क) श्री आनंद की वापसी याचिका की एक प्रति जिसके बारे में कहा गया है -

निरोध के आधार पर निर्भर;

ख) सीएमएम द्वारा निर्देशित सीसीटीवी फुटेज की पेन-ड्राइव या सीडी/डीवीडी की एक प्रति 18 जून, 2019 को जमा की जा सकती है।

कृपया मुझे प्रदान किया जाए और कृपया मुझे दिखाया जाए

लैपटॉप या कोई अन्य उपकरण।

10. कृपया ध्यान दें कि जब तक उपरोक्त प्रार्थनाओं पर शीघ्रता से विचार नहीं किया जाता है, मैं केंद्र सरकार और सलाहकार बोर्ड आदि के समक्ष अपना अंतिम प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ हूं। इसलिए, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 22 (5) की सच्ची भावना में तत्काल प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जा सकता है।

21 भारत के संविधान "।

(ई) 24.07.2019 पर, प्रतिनिधित्व को प्रायोजक प्राधिकरण, अर्थात् डीआरआई, कोलकाता को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था जो 29.07.2019 पर प्राप्त हुए थे। उक्त अभ्यावेदन के साथ-साथ प्रायोजक प्राधिकरण से प्राप्त पैरा-वाइज टिप्पणियों को अग्रेषित किया गया था

on31.07.2019 केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक 02.08.2019 पर आयोजित होने वाली थी। (च) 02.08.2019 पर ही, बंदियों की ओर से दायर 2019 की रिट याचिका संख्या 1840 को उच्च न्यायालय ने इन आधारों पर अनुमति दी थी

कि जब बंदी न्यायिक हिरासत में थे और कोई नहीं था

3 केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली 4 दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली उच्च न्यायालय रिपोर्ट में

जमानत पर उनकी रिहाई की आसन्न संभावना और जब उनके द्वारा जमानत याचिका भी नहीं दी गई थी, तो निवारक निरोध की शक्ति

यह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था; और, कि श्री आनंद की वापसी याचिका के रूप में प्रासंगिक सामग्री को प्रस्तुत न करना और निरोध प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार न करना निरोध आदेशों को दूषित कर देता है। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निरोध आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि बंदियों को तुरंत रिहा किया जाए।

(छ) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी दिनांकित 02.08.2019 की बैठक में दर्ज किया कि चूंकि निरोध आदेश रद्द कर दिए गए थे, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं था।

मामले में आगे बढ़ने की संभावना।

(ज) उच्च न्यायालय के निर्णय को इस न्यायालय में 2019 की आपराधिक अपील में चुनौती दी गई थी, जिसने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार कर दिया था। अपील को स्वीकार करते हुए, बंदियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया। इसके बाद हिरासत प्राधिकरण को जेल अधीक्षक द्वारा 27.11.2019 पर सूचित किया गया कि इस अदालत के फैसले के अनुसरण में हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत में लिया गया था।

(i) 02.12.2019 पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के लिए बंदियों की फाइलों को संसाधित करने का निर्देश जारी किया गया था। उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, मामले को केंद्रीय सलाहकार के पास भेज दिया गया

05.12.2019 पर अन्य बातों के साथ लिखा हुआ बोर्डः

" 2015 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) No.2489 से उत्पन्न 2015 के Crl.Appeal No.829 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 03.06.2015 निर्णय को ध्यान में रखते हुए-गुलाम विश्वास बनाम। भारत संघ, उक्त अभ्यावेदनों को निपटान के लिए विचार किया जाएगा

माननीय की राय प्राप्त होने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी बोर्ड "।

3. तत्काल रिट याचिका 16 दिसंबर, 2019 को या उसके आसपास दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 05.12.2019 के संचार में लिए गए रुख को चुनौती दी गई थी कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त होने के बाद ही अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया गया कि

निरोध प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए और यह कि इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत निरोधकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके तुरंत बाद, 18.12.2019 पर बंदियों के लिए अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त रुख को दोहराते हुए एक और अभ्यावेदन किया गया।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

4. इस न्यायालय द्वारा 18.12.2019 नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद, एक

उत्तर में प्रत्यर्थियों की ओर से हलफनामा दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया थाः

(a) केंद्रीय सलाहकार द्वारा 06.01.2020 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

बोर्ड कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था

अर्थात्, संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) ने अभ्यावेदन को खारिज कर दिया दिनांकित 17.07.2019 और 18.12.2019 बंदियों की ओर से बनाया गया।

गुलाम विश्वास बनाम में इस अदालत के फैसलों का उल्लेख करने के बाद।

भारत संघ और एक अन्य और के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनाम। भारत संघ और अन्य ने कहा कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय दिनांक 06.01.2020 प्राप्त होने के बाद ही अभ्यावेदनों पर विचार किया गया।

5. हमने श्री मुकुल रोहतगी और श्री नीरज किशन कौल को सुना,

याचिका के समर्थन में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान महाधिवक्ता श्री के. एम. नटराज।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि

डिटेनिंग अथॉरिटी द्वारा दिनांकित 17.07.2019 का प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के समय, मामले को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था और चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत के आदेशों को रद्द कर दिया गया था

02.08.2019 , तत्काल मामले के तथ्यों में 02.08.2019 तक अभ्यावेदन पर विचार न करने का कोई महत्व नहीं होगा। हालाँकि, उनके प्रस्तुतिकरण में, इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार किए जाने और नवंबर में बंदियों को वापस हिरासत में लिए जाने के बाद, 2019 , उक्त अभ्यावेदन पर विचार न करना और उसके निपटारे में देरी करना अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक था। यह प्रस्तुत किया गया थाः

(क) निरोध के आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन किया जा सकता है

निरोध प्राधिकरण जहाँ निरोध आदेश दिया गया है

पास हो गया।

केंद्र सरकार के विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा

साथ ही केंद्र सरकार और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को भी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निरोध के आधारों का पैरा 12, जैसा कि पहले निकाला गया था, इस सर्वमान्य सिद्धांत के अनुरूप था।

(ख) निरोध प्राधिकरण को किया गया अभ्यावेदन होना चाहिए था

हिरासत प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है। द.

हिरासत प्राधिकरण की प्राप्ति तक प्रतीक्षा करना सही नहीं था

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। (ग) प्रतिनिधित्व पर विचार करने में निरोध प्राधिकरण की ओर से परिणामी देरी इस प्रकार संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

बंदियों में से।

7. दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर श्री के. एम. नटराज ने प्रत्यर्थियों की ओर से एम. विश्वास 5 और के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए कहा कि जब यह केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचाराधीन था, तो विचाराधीन प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जा सकता था और यह कहा जा सकता थाकेंद्रीय सलाहकार की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही डी।

8. तत्काल मामले में, तथ्य स्पष्ट हैं किः क) निरोध प्राधिकरण को 27.11.2019 पर एक पत्र मिला कि निरोधित लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद मामला फिर से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को 05.12.2019 पर भेजा गया। संचार से पता चलता है कि

यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त होने के बाद ही अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा।

ख) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय 06.01.2020 पर प्रस्तुत की गई थी। 14.01.2020 पर केंद्र सरकार ने निरोध आदेशों की पुष्टि की और उसी तारीख को निरोध

प्राधिकरण ने अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया।

9. अतः निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

i) क्या अभिरक्षा प्राधिकरण राय प्राप्त होने तक अभ्यावेदन के विचार को स्थगित करने में उचित था।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का?

(ii) क्या निरोध प्राधिकरण को स्वतंत्र रूप से और रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व पर विचार करना चाहिए था।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का?

निकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

iii) यदि दूसरे प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो क्या हिरासत प्राधिकरण द्वारा 27.11.2019 से 14.01.2020 तक लिए गए समय को अनुचित और टालने योग्य देरी के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

बंदियों के संवैधानिक अधिकार?

10. हमारे पक्ष में रखे गए पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उपरोक्त को छूते हुए इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उपहास करना। दो सवाल। हम उन निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार कर सकते हैं

प्रश्नों को दो दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करनाः

सबसे पहले, इस मुद्दे पर कि क्या एक प्रतिनिधित्व स्वतंत्र रूप से हो सकता है

हिरासत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जो एक

संबंधित सरकार के सहयोगी अधिकार प्राप्त अधिकारी।

दूसरा, क्या, कुछ परिस्थितियों में, निरोध

न्यायपालिका को इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार तब तक स्थगित करना चाहिए जब तक कि

सलाहकार मंडल से प्राप्त किया जाता है।

11. जहाँ तक पहले मुद्दे का संबंध है, निम्नलिखित निर्णय उल्लेखनीय हैंः

क) इब्राहिम बचूबफान बनाम गुजरात राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और 1897 अधिनियम 3 की धारा 21 के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

" 7 ..... धारा 11 का शीर्षक है "का निरसन

नजरबंदी के आदेश "। उप-धारा (1) दो प्राधिकरणों द्वारा निरसन को अधिकृत करती है, अर्थात्, (क) यदि आदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार

आदेश; और (बी) यदि आदेश एक अधिकारी द्वारा किया गया है

केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा,

केन्द्र सरकार द्वारा निरसन की अनुमति है। धारा 11 की उप-धारा (1) इंगित करती है कि खंड (ए) और (बी) में परिकल्पित स्थितियों में इसके तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग धारा के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है। 21 सामान्य खंड अधिनियम। उस खंड में यह प्रावधान है कि आदेश जारी करने की शक्ति में प्रयोग करने योग्य शक्ति शामिल है

समान तरीके से और समान मंजूरी और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो ऐसे आदेशों को जोड़ना, संशोधन करना, बदलना या निरस्त करना। के तहत

) 2 एससीसी 24

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 [2020] 2 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21, इसलिए, निरोध का आदेश देने वाला प्राधिकारी इसके हकदार होंगे -

उस आदेश को रद्द करके उसे रद्द कर दें। हम सहमत हैं कि

श्री जेठमलानी का निवेदन कि शब्द "बिना"

सामान्य की धारा 21 के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह अधिनियम की धारा 11 (1) में प्रयुक्त खंड अधिनियम 1897 "विधायी इरादे को यह अभिव्यक्ति देता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत आदेश देने वाले प्राधिकरण को प्राप्त उस अधिकार को प्रभावित किए बिना, अधिकारियों द्वारा निरोध का आदेश भी निरस्त या संशोधित करने के लिए उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 11 (1) के खंड (ए) और (बी) में नामित। अधिनियम की धारा 11 (1) के खंड (ए) और (बी) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग नामित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सका सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत

जिन अधिकारियों को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है

अधिनियम आदेश देने वालों से अलग हैं। अतः ऐसी शक्ति प्रदान करना आवश्यक था -

संसद ने सही पाया कि सामान्य की धारा 21

स्थिति से निपटने के लिए खंड अधिनियम पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हुए और आदेश देने वाले मूल प्राधिकारी के सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत शक्ति को स्पष्ट रूप से संरक्षित करते हुए, रद्द करने की शक्ति या

नामित अधिकारियों को संशोधन प्रदान किया गया है।

इस प्रकार, एस ने स्वीकार किया कि 1897 अधिनियम की धारा 21 के आधार पर,

y निरोध का आदेश देने का हकदार होगा

मैं 1897 की धारा 21 के तहत शक्ति को स्पष्ट रूप से संरक्षित करता हूं। आदेश देने वाला मौलिक प्राधिकारी।

) राज्य में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ

महाराष्ट्र और एक अन्य बनाम श्रीमती. सुशीला मफतलाल शाह और अन्य लोगों ने थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया। यह न्यायालय

पैरा 11 में निम्नलिखित प्रश्न बनाए गए हैं:

“ 11. ... .

(1) क्या राज्य के किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है?

सरकार या केंद्र सरकार, विशेष रूप से

सी490 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

संबंधित सरकार द्वारा धारा 3 (1) के प्रयोजनों के लिए सशक्त, उसे हिरासत में लेना प्राधिकरण, न कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, और उसे बंदी को यह सूचित करने के लिए बाध्य करता है कि उसके पास अपना अभ्यावेदन देने का तीन गुना अवसर है अर्थात पहला स्वयं के लिए और अन्य दो राज्य सरकार और केंद्र के लिए।

सरकार।

(2) चाहे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के एक अधिकारी द्वारा पारित निरोध के आदेश के बीच कोई अंतर है।

सरकार, केवल संबंधित सरकार द्वारा धारा 3 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए

और राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, निरोध का आदेश एक ऐसे अधिकारी के माध्यम से पारित किया जाता है जिसे धारा 3 के तहत शक्तियां प्रदान करने के अलावा सरकार के कार्य नियमों के तहत बनाए गए स्थायी नियमों के तहत भी सरकार की ओर से कार्य करने का अधिकार है।

(3) चाहे इस तथ्य के कारण कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरोध का आदेश पारित किया जाता है, जो अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्य करने के लिए विशेष रूप से सशक्त है, एक बंदी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करने से पहले निरोध आदेश जारी करने वाले अधिकारी द्वारा पहले अपने प्रतिनिधित्व पर विचार करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त करता है।

केंद्र सरकार "।

कोफेपोसा अधिनियम की योजना पर विचार करते हुए, जिसमें शामिल हैं -

धारा 11 के अनुसार, यह देखा गया थाः

" 19. अब हम अधिनियम की योजना की जांच कर सकते हैं और एक यह पता लगाने के लिए कि क्या ऊपर दिए गए प्रावधानों पर करीब से नज़र डालें

अधिनियम निरोध के बीच अंतर करने का प्रावधान करता है

बाद की श्रेणी में आने वाले आदेश। शुरू में, इसकी आवश्यकता नहीं है। यह कहते हुए कि कोई भी सरकार, चाहे वह केंद्र हो या राज्य, केवल मानव एजेंसियों के माध्यम से काम करती है। इसके अधिकारी और पदाधिकारी [2020] 2 एस. सी. आर.

और यह कि यह अपने आप में एक अमूर्त निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा मामला होने के कारण, भले ही धारा 3 (1) में एक आदेश का प्रावधान है केंद्र सरकार या उसके किसी एक अधिकारी या राज्य सरकार या उसके किसी एक अधिकारी द्वारा हिरासत में लिए जाने के कारण, हिरासत का आदेश अनिवार्य रूप से किसी भी स्थिति में केवल संबंधित सरकार के एक अधिकारी द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इस स्थिति को स्वीकार करते हुए हमें यह देखना होगा कि क्या हिरासत का आदेश, यदि सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से पारित किया जाता है।

धारा 3 (1) के तहत सशक्त लेकिन सरकार के कार्य नियमों के तहत आगे कार्य करने के लिए सशक्त नहीं होने का प्रभाव संबंधित अधिकारी को हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी बनाने का होगा, न कि स्वयं संबंधित सरकार का। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए। धारा 2 (ए) में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि चाहे केंद्र सरकार या उसके विधिवत अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक द्वारा निरोध का आदेश दिया गया हो, निरोध आदेश और निरोध के संबंध में "उपयुक्त सरकार" केवल केंद्र सरकार होगी और इसी तरह चाहे किसी राज्य सरकार या उसके विधिवत अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक द्वारा निरोध का आदेश दिया गया हो, "उपयुक्त सरकार" केवल निरोध आदेश और संबंधित निरोध के संबंध में राज्य सरकार होगी। दूसरा, चाहे हिरासत का आदेश दिया गया हो या नहीं।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निरसन का प्रावधान है कि राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा निरोध का आदेश दिए जाने के बावजूद, संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी इसके हकदार हैं - निरोध के आदेश को निरस्त या संशोधित करें। इसी तरह, खंड (बी) के अनुसार, इसके बावजूद कि द्वारा निरोध का आदेश दिया गया है

केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, अंकित अशोक जालान बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

केंद्र सरकार को निरोध के आदेश को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार दिया गया है। यह धारा कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है - केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निरसन या

क्या यह केंद्र या राज्य सरकार को प्रत्यायोजित करने का अधिकार देता है

इसके किसी भी अधिकारी को प्रतिसंहरण की शक्ति। हम आगे जोड़ सकते हैं कि भले ही धारा 11 निर्दिष्ट करती है कि निरसन की शक्तियाँ

सामान्य की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खंड अधिनियम, यह आरक्षण विशेष रूप से सशक्त व्यक्ति को हकदार नहीं बनाएगा

अधिकारी द्वारा पारित निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए क्योंकि

विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी का आदेश "मानित" प्राप्त करता है

यथास्थिति, राज्य या केंद्र सरकार का अनुमोदन

स्वचालित रूप से और इस तरह के मानित अनुमोदन के कारण

निरसन की शक्तियाँ, सामान्य की धारा 21 के संदर्भ में भी

खंड अधिनियम केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएगा। सरकार और/या केंद्र सरकार। सत पाल बनाम। की स्थिति

राज्य और केंद्र सरकार का गठन किया गया और न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "(टी) उन्हें प्रत्यावर्तन की शक्ति प्रदान की गई

अधिनियम की धारा 11 के तहत उपयुक्त सरकार स्वतंत्र है।

निरोध के आदेश की पुष्टि करने या उसे अलग करने की शक्ति धारा 8 (एफ) "के तहत। इसे आगे इस प्रकार जोड़ा गयाः (एस. सी. सी पी. 17, पैरा 10)

राज्य सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए स्रोतों सहित अपने स्रोत धारा 3 (2) के तहत, या, याचिका या अभ्यावेदन के रूप में बंदी से। यह केंद्र सरकार को तय करना है

चाहे उसे किसी विशेष मामले में निरोध के आदेश को रद्द करना चाहिए या नहीं। धारा 11 के तहत 'किसी भी समय' शब्दों का उपयोग, निरसन की शक्ति को एक प्रबल प्रभाव देता है।

धारा 3 के तहत निरोध की शक्ति पर।

ये टिप्पणियां अदालत द्वारा विचार करते समय की गई थीं।

सवाल यह है कि क्या एक बंदी समवर्ती रूप से बनाने का हकदार था

राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन

राज्य द्वारा पारित निरोध के आदेश के खिलाफ सरकार सरकार और क्या ऐसी परिस्थितियों में राज्य

सरकार यह तर्क दे सकती है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व पर विचार करने का सवाल राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद ही उठेगा और

उसे अस्वीकार कर दिया।

20. नतीजतन, अधिनियम से उत्पन्न होने वाली परिणामी स्थिति है

कि भले ही हिरासत का आदेश एक विशेष द्वारा किया गया हो

केंद्र सरकार या राज्य का अधिकार प्राप्त अधिकारी

सरकार, जैसा भी मामला हो, उक्त आदेश सरकार द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्वों को उसी हद तक जन्म देगा और जिस हद तक वह बाध्य होगा यदि निरोध आदेश सरकार द्वारा ही किया गया था। यदि ऐसा है, तो यह संबंधित सरकार है जो हिरासत का गठन करेगी। अधिनियम के तहत प्राधिकरण और संबंधित अधिकारी नहीं जिसने निरोध का आदेश दिया था, और यह उस सरकार के लिए है कि बंदी को जल्द से जल्द अवसर पर निरोध आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे परिकल्पना की गई है।

अनुच्छेद 22 (5) और न कि हिरासत का आदेश देने वाले अधिकारी को ताकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राज्य सरकार और उसके बाद केंद्र सरकार को आगे प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जा सके यदि ऐसा करने की आवश्यकता हो। हालांकि

धारा 3 (1) के कारण एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी निरोध का आदेश पारित करने का हकदार है, उसका संवैधानिक दायित्व केवल निरोध के आधार को शीघ्रता से संप्रेषित करना है और उसे अपनी निरोध के खिलाफ उपयुक्त सरकारों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान करना है। केवल आगे

इसके बाद निष्पादित किया जाने वाला कर्तव्य यह है कि बंदी द्वारा किए गए अभ्यावेदन को संबंधित अधिकारी या सरकार के कार्य नियमों के तहत सशक्त मंत्री के समक्ष रखा जाए -

इस तरह के प्रतिनिधित्व से निपटें यदि बंदी उसे संबोधित करता है

स्वयं अधिकारी को प्रतिनिधित्व "।

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि हिरासत का आदेश पारित करने के हकदार एक विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी का संवैधानिक दायित्व केवल हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधारों के बारे में शीघ्रता से सूचित किया जाएगा ताकि उसे हिरासत में लिए गए व्यक्ति के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी मिल सके।

उनकी नजरबंदी के खिलाफ सरकारों का विरोध। उपरोक्त सभी तीन

पैरा 11 में प्रस्तुत आयनों का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

ग) अमीर शाद खान बनाम एल. हमिंगलियाना और अन्य में, एक पीठ

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने कहाः

इसलिए, हमें क़ानून की ओर ले जाएँ क्योंकि इसका उत्तर संविधान के अनुच्छेद 22 (5) से नहीं मिल सकता है जिसे अलग से पढ़ा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि खंड प्राधिकरण पर एक दायित्व डालता है जो निरोध आदेश को बंदी को जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने के लिए बनाता है। निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करना। यदि हमें हिरासत के आधार पर बयान के अनुसार जाना है तो उस प्राधिकरण के लिए हमारी खोज समाप्त हो जाएगी क्योंकि हिरासत के आधार स्वयं उन अधिकारियों को बताते हैं जिनके लिए प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। अब जैसा कि अनुच्छेद 22 के खंड (5) द्वारा पहले कहा गया है, निरोध आदेश बनाने वाले प्राधिकारी पर एक दोहरा दायित्व डाला गया है, जिसमें से एक यह है कि बंदी को उस आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाए, जिसे हिरासत के आधार पर सूचित करके पूरा किया गया है, जिसे उसका प्रतिनिधित्व संबोधित किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व संबोधित किया जाता है, उसके पास वैधानिक होना चाहिए।

समर्थन करते हैं। वैधानिक समर्थन के स्रोत का पता लगाने के लिए निवारक निरोध के लिए अधिनियम की योजना पर ध्यान देना फायदेमंद होगा। धारा 2 (बी) निरोध आदेश को धारा 3 के तहत दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित करती है। धारा 3 की उप-धारा (1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार को सशक्त बनाती है या

केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं है, जो उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त है, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जो उस सरकार के सचिव के पद से कम नहीं है, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त है।

उस सरकार द्वारा, किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के संरक्षण या वृद्धि के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से या उसके तहत गिने गए पांच प्रतिकूल कार्यों में से किसी एक को करने से रोकने की दृष्टि से हिरासत का आदेश देना। उस धारा की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि जब निरोध का कोई आदेश दिया जाता है

राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार, दस दिनों के भीतर, आदेश के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगी। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जब भी राज्य सरकार या उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त उसके अधिकारी द्वारा कोई निरोध आदेश दिया जाता है तो राज्य सरकार पर यह दायित्व डाला जाता है कि -

दस दिनों के भीतर उस आदेश के संबंध में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजें। इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से है -

केंद्र सरकार को राज्य सरकार या उसके अधिकारी द्वारा धारा 3 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग पर नजर रखने में सक्षम बनाना। फिर उप-धारा (3) आती है जो इस प्रकार हैः

3. (3) अनुच्छेद 22 के खंड (5) के प्रयोजनों के लिए

संविधान, हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए संचार

जिन आधारों पर आदेश दिया गया है, उन आधारों के निरोध आदेश का अनुसरण करते हुए, हिरासत के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेकिन आम तौर पर पांच दिनों के बाद नहीं, और असाधारण परिस्थितियों में और दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए नज़रबंदी की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद नहीं "।

यह प्रावधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 22 (5) द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करने के लिए है कि निरोध के आधारों को 'जितनी जल्दी हो सके' सूचित किया जाएगा। इसलिए, इस कानून ने बाहरी सीमा तय की है जिसके भीतर हिरासत के आधारों को सूचित किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) और खंड (7) के उपखंड (सी) का दायित्व। धारा 8 (च), जिसकी कुछ प्रासंगिकता है, यह प्रदान करती है कि प्रत्येक मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर सकती है और संबंधित व्यक्ति की हिरासत को उस अवधि के लिए जारी रख सकती है जो वह उचित समझती है और प्रत्येक मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी और कारण बताएगी

जिस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाना है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से उपयुक्त सरकार को नजरबंदी को रद्द करने का आदेश देने के लिए बाध्य करता है।

यदि सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट करता है कि उस व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण की आवश्यकता है तो आदेश दें। इसके बाद धारा 11 आती है जो इस प्रकार हैः

किट अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

" 11. निरोध आदेशों को निरस्त करना। - (1) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी निरोध आदेश को किसी भी समय निरस्त या संशोधित किया जा सकता है।

(ए) इसके बावजूद कि आदेश एक द्वारा किया गया है उस राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार का अधिकारी

या केंद्र सरकार द्वारा;

(ख) इसके बावजूद कि आदेश एक द्वारा किया गया है

केंद्र सरकार या किसी राज्य द्वारा अधिकारी

केंद्र सरकार द्वारा "।

उप-धारा (2) हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। धारा 11 की उप-धारा (1) के दो खंडों के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जहां राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाता है, वहां राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को निरोध आदेश को रद्द करने का अधिकार है।

हालांकि, जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा निरोध आदेश पारित किया जाता है, केंद्र सरकार को निरोध आदेश को रद्द करने का अधिकार है। अब यह प्रावधान स्पष्ट रूप से सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है जो यह निर्धारित करता है कि जहां किसी भी केंद्रीय अधिनियम द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो इसी तरह से प्रयोग की जा सकती है और इसी तरह की मंजूरी और शर्तों के अधीन है, यदि कोई हो, तो इस तरह जारी किए गए किसी भी आदेश को रद्द करने के लिए। स्पष्ट रूप से जिस प्राधिकरण ने किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत आदेश पारित किया है, उसे इस प्रावधान द्वारा उसी तरह से आदेश को रद्द करने का अधिकार है। इस प्रावधान को जब अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 द्वारा निरोध आदेश देने वाले प्राधिकरण को प्रदान की गई शक्ति को रद्द करने की शक्ति सुरक्षित है और इसे हटाया नहीं जाता है। धारा 11 के तहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार का एक अधिकारी जिसे अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत विशेष रूप से हिरासत में रखने का अधिकार है।

आदेश को इसे निरस्त करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है; उन अधिकारियों के लिए उस शक्ति का पता सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से लगाया जाना चाहिए। इसलिए, जहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी ने कोई निरोध आदेश पारित किया है और एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर वह है यह मानते हुए कि निरोध आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है, वह [2020] 2 एस. सी. आर. कर सकता है।

इसलिए, जब संबंधित के संदर्भ में पढ़ा जाता है अनुच्छेद 22 के खंड, यह स्पष्ट करते हैं कि उनका उद्देश्य है -

संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना और बंदी को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदत्त अधिकार का प्रवर्तन

उसके निरोध आदेश के खिलाफ। इस परिप्रेक्ष्य में यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्ति का संवैधानिक दायित्व से कोई संबंध नहीं है। अनुच्छेद 22 (5) के अनुसार।

. इस न्यायालय के निर्णयों के बीच स्पष्ट संघर्ष

1 मफतलाल शाह और आमिर शाद खान 1

कमलेश में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष

ईश्वरदास पटेल बनाम भारत संघ और अन्य 1 2

इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया थाः

2. जब निवारक निरोध का आदेश केंद्र सरकार या विशेष रूप से ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है

एस. सी. सी. 51 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

राज्य सरकार, उक्त अधिकारी है जिसे विचार करने की आवश्यकता है

बंदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन? ”

इस मामले पर निम्नानुसार विचार किया गयाः

" 6. इस प्रावधान की शक्ति और पवित्रता मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी अन्य प्रावधान के समान है। (देखिएः बॉम्बे राज्य बनाम। आत्मा राम श्रीधर वैद्य 1.) अनुच्छेद 22 (5) दोहरे प्रावधान लागू करता है।

निवारक निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी का दायित्वः ((i) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द सूचित करना, जिसके आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है; और (ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 22 (5) इस प्रकार

इस आधार पर आगे बढ़ता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ऐसा करने का अधिकार है

निरोध के आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व और

प्राधिकरण पर उपरोक्त दो दायित्व लगाए गए हैं

वह उस गलती के निवारण के लिए कदम उठाने में सक्षम है जो उसे लगता है कि की गई है। हालांकि, अनुच्छेद 22 (5) उस अधिकार का संकेत नहीं देता है जिसे प्रतिनिधित्व किया जाना है। चूंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन का उद्देश्य और उद्देश्य उसे जल्द से जल्द राहत प्राप्त करने में सक्षम बनाना है अवसर पर, उक्त अभ्यावेदन उस प्राधिकरण को दिया जाना चाहिए जो ऐसी राहत प्रदान कर सकता है, अर्थात वह प्राधिकरण जो निरोध के आदेश को रद्द कर सकता है और उसे मुक्त कर सकता है। जिस प्राधिकारी ने निरोध का आदेश दिया है, वह भी इसे रद्द कर सकता है। यह अधिकार आदेश देने की शक्ति में निहित है। इसे सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा मान्यता प्राप्त है, हालांकि यह इससे नहीं आता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 22 (5) में कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।

आदेश देने वाले प्राधिकारी को निरोध का आदेश। इसके अलावा, इस तरह का अभ्यावेदन किसी अन्य प्राधिकरण को किया जा सकता है जो कानून द्वारा निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए सशक्त है।

.....

14. इसलिए अनुच्छेद 22 (5) का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो न केवल सलाहकार को दिया जा सकता है

बोर्ड के साथ-साथ निरोध करने वाले प्राधिकारी को भी, अर्थात उस प्राधिकारी को जिसने निरोध का आदेश दिया है या ऐसे निरोध को जारी रखने का आदेश दिया है, जो उक्त आदेश को निरस्त करके तत्काल राहत देने के लिए सक्षम है और साथ ही किसी अन्य प्राधिकरण को भी जो निरोध के आदेश को रद्द करने के लिए कानून के तहत सक्षम है और इस तरह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राहत देता है। प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के भीतर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए हिरासत का आदेश देने वाले प्राधिकरण पर एक संबंधित दायित्व होता है।

ऐसे अधिकारी जिन्हें इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करने की आवश्यकता है।

23. यदि निरसन की शक्ति को उस प्राधिकारी का निर्धारण करने के लिए मानदंड के रूप में माना जाना है जिसे प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी द्वारा किए गए निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व उस अधिकारी को किया जा सकता है जिसने आदेश दिया है और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो सक्षम हैं।

आदेश को निरस्त करना। इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य को ज्ञापन दिया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिया जा सकता है। जिसने केंद्र सरकार के साथ-साथ आदेश भी दिया है।

प्रासंगिक निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने सुशीला मफतलाल शाह में दी गई सहायता को स्वीकार नहीं किया और कहाः

" 30. सुशीला मफतलाल शाह में निर्णय दो आधारों पर आगे बढ़ता हैः (i) अनुच्छेद 22 (5) आदेश देने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है; और (ii) कोफेपोसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरोध का आदेश दिया जाता है।

ऐसा करने के लिए, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उपयुक्त सरकार है, अर्थात् वह सरकार जिसने अधिकारी को अधिकार दिया है - आदेश दें, क्योंकि इस तरह के आदेश द्वारा "मानित अनुमोदन" प्राप्त होता है

सरकार अपने जारी होने के समय से। 31. उचित सम्मान के साथ, हमें दोनों परिसरों के साथ सहमत होना मुश्किल लगता है। अनुच्छेद 22 (5) के प्रावधानों का निर्माण करते हुए हमने समझाया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम बनाने का अधिकार।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्राधिकरण को ऐसा प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को समझता है जो ऐसी राहत प्रदान कर सकता है अर्थात प्राधिकरण जो आदेश को रद्द कर सकता है

हिरासत में लेना और उसे मुक्त करना और चूंकि हिरासत का आदेश देने वाला अधिकारी इसे रद्द करने के लिए सक्षम है, इसलिए वह व्यक्ति

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत का आदेश देने वाले अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। पहला आधार कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 22 (5) से नहीं आता है, इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

32. विद्वान न्यायाधीश, टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए

अब्दुल करीम 1 4 और जयनारायण सुकुल 1 5 में निर्णय,

'हरधनसाह' और 'जॉन मार्टिन' इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे हैं कि इन मामलों में न्यायालय निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की धारा 7 (1) में निहित प्रावधानों के आलोक में मामले पर विचार कर रहा था, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिनिधित्व उपयुक्त सरकार को किया जाना था। टिप्पणियाँ

राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने के संबंध में

अतः उक्त निर्णयों में सरकार का अर्थ निवारक निरोध अधिनियम में उक्त प्रावधान के आलोक में लगाया जाना चाहिए और उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 22 (5) में ऐसा नहीं है। अभिनिर्धारित करें कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है

निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व।

33. दूसरा आधार यह है कि केंद्र सरकार हिरासत में लेने वाली प्राधिकरण बन जाती है क्योंकि विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को सरकार द्वारा अनुमोदित माना जाता है।

इस संबंध में इसके जारी होने के समय से, यह कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की योजना के विपरीत है जो अलग है।

अन्य निवारक निरोध कानूनों, अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971 से,

और निवारक निरोध अधिनियम, 1950।

34. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान है

[धारा 3 (4)] धारा 3 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, जिन्होंने आदेश दिया है, से राज्य सरकार को तुरंत इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है -

9) 1 एस. सी. सी. 433 0) 1 एस. सी. सी. 219 [जयनारायण सुकुल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]5) 3 एस. सी. सी. 198 [हरधनसाह बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य] 5) 3 एससीसी 836 [2020] 2 एस. सी. आर.

जो वह अधीनस्थ है। उक्त प्रावधान आगे निर्धारित करता है कि ऐसा कोई भी आदेश उसके बनाए जाने के बाद बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा, जब तक कि इस बीच, इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। इससे पता चलेगा कि यह राज्य सरकार की मंजूरी है जो उस आदेश को आगे बढ़ाती है जो अन्यथा इसके बनने के बारह दिनों की समाप्ति पर अपनी प्राकृतिक मृत्यु को समाप्त कर देगा। धारा 3 (4) की यह भी आवश्यकता है कि रिपोर्ट के साथ वे आधार होने चाहिए जिन पर आदेश दिया गया है और ऐसे अन्य विवरण जैसे -

उक्त अधिकारी की राय का मामले पर प्रभाव पड़ता है जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार को निरोध के आदेश को अपनी मंजूरी देते समय आधारों और उक्त सामग्री पर विचार करना होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन का प्रभाव यह है कि इस तरह की मंजूरी की तारीख से निरोध को राज्य सरकार के आदेश द्वारा अधिकृत किया जाता है जो निरोध के आदेश को मंजूरी देता है और राज्य सरकार को हिरासत में लेना होता है।

अनुमोदन के आदेश की तारीख से प्राधिकरण। ऐसा प्रतीत होता है कि

सरकार। ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपने बल पर संचालित होता है। कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार राज्य सरकार के लिए केवल यह आवश्यक है कि - 10 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी जाती है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश राज्य द्वारा दिए गए आदेश के समान ही रखा जाता है।

सरकार क्योंकि रिपोर्ट को ऐसे दोनों आदेशों के संबंध में केंद्र सरकार को भेजा जाना है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कॉफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 3 (2) में निहित रिपोर्ट को अग्रेषित करने के संबंध में आवश्यकता, इसलिए, यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं दे सकती है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश मानित अनुमोदन प्राप्त करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

उस सरकार के जारी होने की तारीख से। अनुमोदन, वास्तविक या मानित, अनुमोदन देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा रही कार्रवाई के लिए मन के अनुप्रयोग को अभिनिर्धारित करता है। निरोध के आदेश की मंजूरी के लिए अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा विचार करने की आवश्यकता होगी

आदेश देने वाला अधिकारी निरोध का आदेश देने के उद्देश्य से अपेक्षित संतुष्टि पर पहुँच गया था। खंड के विपरीत 3 (4) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम में कोई आवश्यकता नहीं है कि हिरासत का आदेश देने के उद्देश्य से विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को तुरंत संबंधित सरकार को आधार भेजना चाहिए।

और सहायक सामग्री जिसके आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है। न ही उक्त अधिनियमों में यह निर्धारित किया गया है कि अधिकारी द्वारा निरोध का आदेश दिए जाने के बाद

उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त संबंधित सरकार

अनुमोदन की मांग की जाती है कि आदेश द्वारा किया जाता है संबंधित सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी। केवल इसलिए कि हिरासत का आदेश उस अधिकारी द्वारा दिया गया है जिसे उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया है, हमारी राय में, इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराएगा कि उक्त आदेश सरकार की मानित अनुमोदन प्राप्त करता है जिसने ऐसा किया है।

आदेश जारी होने की तारीख से उसे अधिकार दिया गया ताकि उक्त सरकार को हिरासत में लेने का अधिकार दिया जा सके। धारा 3 (2) के तहत किसी विशेष अधिकारी को विशेष रूप से सशक्त बनाकर कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार को एक स्वतंत्र शक्ति प्रदान करता है

अधिकारी ने व्यक्ति की गतिविधियों के बारे में अपनी संतुष्टि पर पहुंचने के बाद हिरासत का आदेश देने के लिए कहा

हिरासत में लिया गया। चूंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की नजरबंदी ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश से इसकी कानूनी मंजूरी लेती है, इसलिए अधिकारी उक्त व्यक्ति के संबंध में हिरासत में लेने का अधिकारी होता है। वह तब तक हिरासत में रखने का अधिकारी बना रहता है जब तक कि हिरासत का आदेश लागू रहता है। वह हिरासत में लेने का अधिकार तभी समाप्त करता है जब हिरासत का आदेश काम करना बंद कर देता है। यह कानून द्वारा निर्धारित निरोध की अवधि की समाप्ति पर या अधिकारी द्वारा स्वयं या प्राधिकरण [2020] 2 एस. सी. आर. द्वारा निरस्त किए जाने वाले आदेश पर होगा।

कॉफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित है। इन अधिनियमों के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हिरासत का आदेश देने के बाद अधिकारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और उसके बाद वह हिरासत में लेने का अधिकारी नहीं रह जाता है और संबंधित सरकार, जिसने उसे अधिकार दिया था, हिरासत में लेने की भूमिका निभाती है।

प्राधिकरण। हम उक्त अधिनियमों के प्रावधानों को आदेश पारित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को इस तरह की सीमित शक्ति सौंपने के प्रावधान के रूप में समझने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत एक संकेत कोफेपोसा अधिनियम की धारा 11 और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 12 में दिया गया है जो ऐसे अधिकारी की उस आदेश को रद्द करने की शक्ति को संरक्षित करता है जो उसके द्वारा दिया गया था।

इसका मतलब है कि हिरासत का आदेश पारित करने के बाद अधिकारी तस्वीर से बाहर नहीं जाता है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी हिरासत में रखने का अधिकारी बना रहेगा और हिरासत का आदेश देने के बाद संबंधित सरकार द्वारा विस्थापित नहीं किया जाएगा। इसलिए, हिरासत में लेने का अधिकार होने के कारण उसे हिरासत के आदेश के खिलाफ हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करना आवश्यक है। 36. ऐसा प्रतीत होता है कि 'इब्राहिम बचूबफान' में निर्णय, ए

तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय, ध्यान में नहीं लाया गया था

सुशीला मफतलाल शाह का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों में से। उपर्युक्त कारणों से हमारा विचार है कि निर्णय में

ऐसे अधिकारी द्वारा विचार किया जाना और ऐसे अधिकारी को सशक्त बनाने के लिए केवल उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना, सही कानून निर्धारित नहीं करता है। 38. संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के प्रावधानों और कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया हैः जहाँ विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा कोफेपोसा अधिनियम और पी. आई. टी. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 3 के तहत निरोध आदेश दिया गया है।

उस उद्देश्य के लिए या तो केंद्र सरकार या राज्य ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सरकार बनाने का अधिकार है

उक्त अधिकारी और उक्त अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। बंदी का यह अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करने के उसके अधिकार के अलावा है, जहां राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत एक अधिकारी द्वारा हिरासत का आदेश दिया गया है और केंद्र सरकार को जहां हिरासत का आदेश एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा, और उसी पर विधिवत विचार किया जाना। प्रतिनिधित्व करने के इस अधिकार का अनिवार्य रूप से तात्पर्य है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस प्राधिकरण को प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिसने निरोध का आदेश दिया है।

उस समय जब उसे हिरासत के आधार के साथ सेवा प्रदान की जाती है ताकि वह ऐसा प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो और ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकार से इनकार किया जाता है

प्रतिनिधित्व।

12. कमलेश कुमार 1 2 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के साथ, पहले मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि कहाँ

निरोध आदेश अन्य बातों के साथ-साथ कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 के तहत उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है।

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हिरासत में लिया गया व्यक्ति

उक्त अधिकारी को अभ्यावेदन देने का अधिकार है; और उक्त अधिकारी उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए बाध्य है; और

ऐसा करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप अधिकार से इनकार किया जाएगा

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा,

बंदी का ऐसा अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के अतिरिक्त माना गया है।

सरकार। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि तत्काल मामले में निरोध के आधारों का पैरा 12, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, कानून के अनुरूप है।

इस न्यायालय द्वारा घोषित।

13. अब हम दूसरे मुद्दे पर जाते हैं और इस मुद्दे पर इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करते हैं:

ए) पंकज कुमार चक्रवर्ती और अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ने इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उस मामले पर विचार किया जहां जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा हिरासत के आदेश पारित किए गए थे।

18 (1969) 3 एससीसी 400 = (1970) 1 एससीआर 543 [2020] 2 एससीआर।

1950 के अधिनियम की धारा 3 (2) के साथ पठित धारा 3 (1) (ए) (ii) और (iii)। जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 2 में कहा गया है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला 21.09.1968 पर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा गया था। के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व

राज्य सरकार को 21.10.1968 पर निरोध का आदेश दिया गया था। 06.11.1968 पर सलाहकार बोर्ड द्वारा एक राय दी गई थी कि वहाँ

संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण था, जिसके बाद 11.11.1968 पर आदेश की पुष्टि की गई थी। जबकि पैराग्राफ 4 में विचार किए गए मामले में, मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद प्रतिनिधित्व किया गया था। इन तथ्यों के आलोक में, निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए गए थेः

" 6. इन विवादों पर दो सवाल उठते हैंः (i) क्या उचित सरकार पर विचार करने का दायित्व है एक बंदी द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व, और (2) यदि है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है जहां इस तरह का प्रतिनिधित्व किया जाता है

बंदी का मामला सलाहकार मंडल को भेजा जाता है।

इसके बाद इस मामले पर विचार किया गया और यह देखा गयाः

" 10. यह सच है कि खंड 5 सकारात्मक भाषा में यह प्रदान नहीं करता है कि प्रतिनिधित्व किसे किया जाना है और जब किया जाता है, तो किसके द्वारा इस पर विचार किया जाना है। लेकिन अभिव्यक्तियाँ "जितनी जल्दी हो सके" और उस खंड में "जल्द से जल्द अवसर" स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आधारों को पूरा किया जाना है और एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि बंदी को यह दिखाने में सक्षम बनाया जा सके कि उसकी नजरबंदी अनुचित है और क्योंकि कोई अन्य प्राधिकरण नहीं है जो

इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है, यह केवल हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण हो सकता है जिसे यह किया जाना है जिसे इस पर विचार करना है। हालाँकि खंड 5 स्पष्ट शब्दों में नहीं कहता है, इसलिए यह अपने प्रावधानों से इस प्रकार कहता है कि यह निरोध प्राधिकारी है जिसे निरोध को प्रतिनिधित्व करने और इस पर विचार करने का सबसे पहला अवसर देना होता है, जब ऐसा किया जाता है कि क्या इसका आदेश गलत है या उस कानून के विपरीत है जो उसे निरोध करने में सक्षम बनाता है। द.

एस. के. में दिए गए चित्र। अब्दुल करीम के मामले से पता चलता है कि अनुच्छेद 22 के खंड 5 में न केवल उचित सरकार का दायित्व है कि वह आधार प्रस्तुत करे और प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर दे, बल्कि आवश्यक निहितार्थ से उस प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व भी है। इस तरह के दायित्व को स्पष्ट रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिखाने का अवसर देने और उपयुक्त व्यक्ति को संबंधित अवसर देने के लिए प्रदान किया गया है।

19 निवारक निरोध अधिनियम, 1950 अंकित अशोक जालान बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

बोर्ड को भी यही सूचित करें। लेकिन उन मामलों में क्या होगा जहां हिरासत 3 महीने से कम समय के लिए है और बोर्ड की राय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है? अगर वकील विवाद सही होना चाहिए ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त सरकार या बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए और प्रतिनिधित्व का अधिकार और

इस तरह का प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर देने के लिए उपयुक्त सरकार का संबंधित दायित्व निरर्थक हो जाएगा। प्रतिनिधित्व करने का अवसर देने के दायित्व को लागू करने में, खंड 5 केवल 3 महीने या उससे कम समय के लिए निरोध के आदेशों और लंबी अवधि के लिए निरोध के आदेशों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। दायित्व दोनों प्रकार के आदेशों पर लागू होता है। खंड में यह नहीं कहा गया है कि प्रतिनिधित्व है

पूर्व में उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना

मामलों के वर्ग और बाद के वर्ग के मामलों में बोर्ड द्वारा। हमारे विचार में अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार पर दोहरा दायित्व है और बंदी के पक्ष में दोहरा अधिकार है, अर्थात्, (1) उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किए गए निरोध की अवधि के बावजूद उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त करना और (2) बोर्ड द्वारा अपनी राय देने से पहले मामले की परिस्थितियों के आलोक में एक बार फिर वह प्रतिनिधित्व प्राप्त करना। यदि उस प्रतिनिधित्व के आलोक में बोर्ड पाता है कि हिरासत के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है सरकार को हिरासत के आदेश को रद्द करना होगा और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना होगा। इस प्रकार, जबकि सरकार का मानना है कि

यह पता लगाने के लिए कि क्या आदेश प्रासंगिक कानून के तहत अपनी शक्ति के अनुरूप है, बोर्ड इस पर विचार करता है

अपनी राय पर पहुंचने के दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व [2020] 2 एस. सी. आर.

क्या हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण है। उपयुक्त सरकार का दायित्व है कि वह बंदी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करे और उस प्रतिनिधित्व पर विचार करे, जो बोर्ड का गठन करने और अन्य सामग्रियों के साथ प्रतिनिधित्व को बोर्ड को सूचित करने के सरकार के दायित्व से अलग है ताकि वह अपनी राय बना सके और ऐसी राय प्राप्त कर सके।

11. इस निष्कर्ष को अधिनियम के अन्य प्रावधानों से मजबूती मिलती है। अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 के अनुरूप, अधिनियम की धारा 7 निरोध करने वाले प्राधिकारी को अपनी निरोध की तारीख से पांच दिनों के भीतर निरोध के आधार प्रस्तुत करने और निरोध को उपयुक्त सरकार के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने का आदेश देती है। धारा 8 और 9

प्रतिनिधित्व पर विचार करें। धारा 13 राज्य के वकील के तर्क का जवाब भी देती है। उस धारा के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकार दिए गए हैं। डेंटेंशन के आदेश को रद्द या संशोधित करना। यह शक्ति स्पष्ट रूप से सरकार को उचित कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की गई है, जहां उसे किए गए अभ्यावेदन पर, यह पाया जाता है कि आदेश में

प्रश्न को संशोधित किया जाना चाहिए या रद्द भी किया जाना चाहिए। जाहिर है, संसद का इरादा यह नहीं हो सकता था कि उपयुक्त सरकार को धारा 13 के तहत उस अभ्यावेदन पर विचार किए बिना आदेश पारित करना चाहिए जो धारा 7 के तहत दिया गया है। इसे संबोधित किया।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

12. उपरोक्त कारणों से हम एस. के. में निर्णय से सहमत हैं। अब्दुल करीम मामला। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को एक संवैधानिक अधिकार था और राज्य सरकार पर उनके बारे में विचार करने का एक संबंधित संवैधानिक दायित्व था।

इस बात की परवाह किए बिना कि वे उनके मामलों से पहले या बाद में किए गए थे, सलाहकार बोर्ड को भेजे गए थे और ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ हिरासत के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से हमारे लिए इन आदेशों के खिलाफ उठाई गई अन्य आपत्तियों की जांच करना आवश्यक नहीं है। याचिका यह है कि इसलिए अनुमति दी जाती है, याचिकाकर्ता 15 और 36 के खिलाफ हिरासत के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और हम निर्देश देते हैं कि उन्हें निर्धारित किया जाना चाहिए

तुरंत स्वतंत्रता "। (जोर दिया गया) B. जयनारायण सुकुल में ", एक अन्य संविधान द्वारा विचार किया गया

इस न्यायालय ने 1950 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जिला रणनीति द्वारा निरोध का आदेश पारित किया था। 23.06.1969 पर राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा एक प्रतिनिधित्व। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष 01.07.1969 h पर रखा गया था, जिसमें 13.08.1969 पर बताया गया था कि राष्ट्र के लिए पर्याप्त कारण था। इसके बाद ही 19.08.1969 पर प्रतिनिधित्व को बाहर कर दिया गया था। इन तथ्यों के संदर्भ में यह देखा गयाः

" 13. इसलिए, यह इस प्रकार है कि उपयुक्त प्राधिकारी सलाहकार मंडल की किसी भी राय या विचार से अप्रभावित हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करना है। खैरुल हक बनाम के मामले में। W.B.20 की स्थिति इस न्यायालय ने कहा कि "यह है

अनुच्छेद 22 की भाषा में निहित है कि उपयुक्त सरकार, विचार करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए

प्रतिनिधित्व ऐसे प्रतिनिधित्व पर बोर्ड के विचारों पर निर्भर नहीं हो सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे तर्क यह है कि सरकार को मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजने से पहले हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर तुरंत विचार करना चाहिए और

आगे कि इस तरह की कार्रवाई का असली स्वाद तब होगा

स्वतंत्र निर्णय।

.....

18. यह किसी भी संदेह से परे स्थापित किया गया है कि

उपयुक्त प्राधिकारी बंदी के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करने के लिए बाध्य है। उपयुक्त सरकार स्वयं

1969 का No.246,10-9-69 [2020] 2 एस. सी. आर. पर तय किया गया।

प्रतिनिधित्व पर जितनी जल्दी हो सके विचार करने के लिए बाध्य है। प्रतिनिधित्व पर तत्काल विचार करने का कारण इतना स्पष्ट है कि इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है

हिस्सेदारी। कोई भी देरी न केवल उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से एक गैर-जिम्मेदाराना कार्य होगी, बल्कि असंवैधानिक भी होगी क्योंकि

संविधान बंदी के अपने प्रतिनिधित्व पर विचार करने के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है और यह अनिवार्य है कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में हो तो संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। (जोर दिया गया)

19. कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके भीतर एक बंदी के प्रतिनिधित्व से निपटा जाना चाहिए सिवाय इसके कि यह एक है

विचार के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिए गए समय के माप के रूप में त्वरित नियम निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन यह याद रखना होगा कि सरकार को राज्य के शासन में सतर्क रहना होगा। नागरिक। एक नागरिक का अधिकार राज्य के सहसंबंधी कर्तव्य को बढ़ाता है। चौथा, उपयुक्त सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के साथ मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजने से पहले प्रतिनिधित्व पर अपनी राय और निर्णय का प्रयोग करना है। यदि उपयुक्त सरकार बंदी को रिहा कर देगी तो सरकार इस मामले को सलाहकार मंडल को नहीं भेजेगी। लेकिन अगर सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा नहीं करती है तो सरकार अंकित अशोक जालान बनाम को भेजेगी।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

सलाहकार मंडल में बंदी के प्रतिनिधित्व के साथ मामला। यदि इसके बाद सलाहकार बोर्ड एक राय व्यक्त करेगा

बंदी की रिहाई के पक्ष में सरकार बंदी को रिहा कर देगी। यदि सलाहकार बोर्ड इसके खिलाफ कोई राय व्यक्त करेगा

बंदी की रिहाई सरकार अभी भी अभ्यास कर सकती है

बंदी को रिहा करने की शक्ति। (जोर दिया गया)

21. वर्तमान मामले में, पश्चिम बंगाल राज्य न केवल अत्यधिक संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है अभ्यावेदन पर विचार करने में विलम्ब करना, बल्कि सलाहकार मंडल की राय प्राप्त होने तक विचार करना। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई नहीं है

इस अत्यधिक देरी के लिए स्पष्टीकरण। जाँच करने वाले अधीक्षक ने हलफनामे की पुष्टि नहीं की। राज्य ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि यह लंबी देरी क्यों हुई। वर्तमान मामले में अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उपयुक्त प्राधिकारी निष्क्रियता द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा और

स्वतंत्र निर्णय का अभाव "।

(ग) हरधन साहा में इसकी एक और संविधान पीठ

के विचार के बीच अंतर पर विचार किया गया

सरकार और सलाहकार बोर्ड द्वारा निम्नानुसार भेजा गया।

" 24. बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व पर विचार करना राज्य का दायित्व है। द.

सलाहकार बोर्ड के पास पूरी सामग्री की जांच करने की पर्याप्त शक्ति है। बोर्ड अधिक सामग्री के लिए भी कॉल कर सकता है। बोर्ड बंदी को उसके अनुरोध पर बुला सकता है। बोर्ड के गठन से पता चलता है कि इसमें न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं। बोर्ड का संविधान निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है कि मौखिक सुनवाई होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 8, जो राज्य पर प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व डालती है, बंदी को वे सभी अधिकार प्रदान करती है जिनकी अनुच्छेद 22 (5) द्वारा गारंटी दी गई है। सरकार अनिवार्य रूप से यह पता लगाने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करती है कि क्या आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है। दूसरी ओर, बोर्ड इस बात पर विचार करता है कि क्या

प्रतिनिधित्व हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है। (जोर दें।

जोड़ा गया)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक प्रतिबंध की तर्कसंगतता पर विचार करने में एक तत्व हैं जहां अनुच्छेद 19 लागू होता है। में। राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने का चरण

सरकार, राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार है -

अनुच्छेद 22 (5) का तात्पर्य है। अधिनियम की धारा 8 पूरी तरह से अनुच्छेद 22 (5) के अनुरूप है क्योंकि यह धारा संविधान के प्रावधानों का पालन करती है। यदि मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले बंदी का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण प्रतिनिधित्व पर विचार करता है। यदि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी अभ्यावेदन भेजने से पहले इस पर विचार करेगा।

सलाहकार मंडल को "। (जोर दिया गया)

इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया कि यदि मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो निरोध प्राधिकरण

इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए; और यदि प्रतिनिधित्व किया जाता है तो मामला सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है, तो हिरासत प्राधिकरण पहले इस पर विचार करेगा और फिर प्रतिनिधित्व को सलाहकार को भेजेगा।

डी।

डी) फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा 2 1 में,

इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने निर्धारित सिद्धांतों पर विचार किया

नारायण सुकुल 1 और निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

" 5. निवारक निरोध के मामलों में अदालत की भूमिका के बारे में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है: यह शाश्वत सतर्कता का होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बड़ी कोई स्वतंत्रता नहीं है और इसे अक्षुण्ण रखने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। अदालत की रिट अवैध हिरासत के खिलाफ अंतिम बीमा है। संविधान आदेश देता है कि

अनुच्छेद 22 और न्यायालय के प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन। अनुच्छेद 22 (5) बंदी में प्रदान किए जाने का अधिकार निहित करता है।

प्रतिनिधित्व करने का अवसर। यहाँ कानून है रिपोर्ट एक कहानी बताती है और सबक सिखाती है। यह है कि बंदी का प्रमुख दुश्मन और प्रतिनिधित्व करने का उसका अधिकार न तो उच्च-हस्त और न ही मतलबी है, बल्कि अनौपचारिक उदासीनता, मूर्खतापूर्ण असंवेदनशीलता, नौकरशाही मशीन की दिनचर्या और लालफीताशाही है। द्वारा प्रतिपादित चार सिद्धांत

जयनारायण सुकुल बनाम में न्यायालय। W.B.¹5 की स्थिति के साथ-साथ

अन्य मामलों में प्रतिपादित अन्य सिद्धांत, एक विश्लेषण से पता चलेगा,

उदासीनता के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का उद्देश्य है,

0) 2 एस. सी. सी. 275 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

असंवेदनशीलता, नियमित और लालफीताशाही और इस प्रकार बंदी को एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सुरक्षित करने के लिए। हम सहमत हैंः (1) निरोधक प्राधिकारी को निरोधक को अभ्यावेदन देने का बहुत जल्दी अवसर प्रदान करना चाहिए, (2) निरोधक प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए, और यह, अधिमानतः, प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले होना चाहिए, (3) प्रतिनिधित्व को बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पहले सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए, और (4) प्रतिनिधित्व के निरोधक प्राधिकारी द्वारा विचार पूरी तरह से होना चाहिए। बोर्ड द्वारा सुनवाई या उसकी रिपोर्ट से स्वतंत्र, अभियान हर स्तर पर आवश्यक है। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि समय-अनिवार्यता कभी भी निरपेक्ष या जुनूनी नहीं हो सकती है। द.

अदालत की टिप्पणियों को इतना नहीं समझा जाना चाहिए। आवश्यकता के आधार पर ली-वे होना चाहिए (हम इसका उपयोग करने से बचते हैं)

मामले का शब्द "परिस्थितियाँ")। एक ऐसे मामले की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है जिसमें एक बंदी बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट देने से पहले एक प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिससे हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के लिए इस पर विचार करना या इसे समय पर बोर्ड को भेजना या एक मामला असंभव हो जाता है। जेराव सासे हमथानायगिरिया हमथानाय मावख 'गिरिनाव थान्दैथि खालामो। इसलिए सलाहकार बोर्ड के संदर्भ लेने से कुछ समय पहले कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी उससे पहले प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं कर सकता है, लेकिन खुद पर विचार किए बिना इसे केवल बोर्ड को भेज सकता है। ऐसी कई परिस्थितियाँ समय-अनिवार्यता से मजबूर करने वाली प्रस्थान उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन सुस्त उदासीनता के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है। अनावश्यक विलंब के लिए कोई छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन, जहां कानूनी पेचीदगियां और तथ्यात्मक प्रभाव शामिल हैं, वहां आवश्यक परामर्श के लिए निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए। समय-अनिवार्यता से थोड़े से प्रस्थान की आवश्यकता को समझाने का बोझ हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी पर है।

.....

7. हम पहले ही जयनारायण सुकुल v में प्रतिपादित चार सिद्धांतों के साथ अपनी सहमति व्यक्त कर चुके हैं। W.B.¹5 की स्थिति। हम एक अवलोकन करेंगे। जब यह कहा गया कि सरकार को प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय पर आना चाहिए, तो सरकार ने प्रतिनिधित्व को भेजा सलाहकार बोर्ड, जोर समय के बिंदु पर नहीं बल्कि इस आवश्यकता पर था कि सरकार को विचार करना चाहिए

बोर्ड से स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व। यह [2020] 2 एस. सी. आर. में समझाया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागेंद्र नाथ मंडल बनाम। W.B22 की स्थिति। सुकुल मामलों में

न्यायालय ने पीपी में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां भी कीं। 231-232 : (एस. सी. सी पी. 224, पैरा 19)

" कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके भीतर

एक बंदी के प्रतिनिधित्व से निपटा जाना चाहिए सिवाय इसके कि यह एक बंदी का संवैधानिक अधिकार है प्रतिनिधित्व को यथासंभव शीघ्रता से माना जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या

उपयुक्त सरकार ने मामले का निपटारा किया है

जितनी जल्दी हो सके "।

ई) के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में, इस न्यायालय के अनुच्छेदों के बीच संघर्ष को देखते हुए मामला संविधान को भेजा गया था।

एच जैसा कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 1 और 2 से स्पष्ट है:

" 1. इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने यह विचार व्यक्त करते हुए कि

वी. जे. जैन बनाम में निर्णय श्री प्रधान 2 3 और ओम प्रकाश

बहल वी. भारत संघ 2 4 ने पुनर्विचार की आवश्यकता का उल्लेख किया है

ये मामले संविधान पीठ के पास हैं।

2. इस बिंदु पर उपरोक्त दो मामलों में निर्धारित कानून के बयान का उल्लेख करना सुविधाजनक है। दोनों मामलों में, जैसा कि वर्तमान मामले में है, व्यक्तियों को संरक्षण के तहत हिरासत में लिया गया था

विदेशी मुद्रा और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 ('अधिनियम')। बंदी ने उपयुक्त सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व किया। तब तक सलाहकार मंडल का गठन हो चुका था और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले पर विचार करने के लिए इसकी बैठक निर्धारित थी। सरकार ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को सलाहकार मंडल को भेज दिया। सलाहकार बोर्ड ने बंदी के मामले और प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया और इस राय को व्यक्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इसके लिए पर्याप्त कारण था

व्यक्ति को हिरासत में लेना। सरकार ने इस पर विचार करने के बाद

रिपोर्ट ने हिरासत के आदेश की पुष्टि की। ऐसा प्रतीत होता है कि निरोध आदेश की पुष्टि करने से पहले बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया था और इसके बाद ही इस पर विचार किया गया और इसे खारिज कर दिया गया। वी. जे. जैन मामले 23 में इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी आदेश की पुष्टि करने से पहले हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर हिरासत प्राधिकरण द्वारा जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए।

2) 1 एससीसी 498

9) 4 एस. सी. सी. 401

1979 का No.845,15 अक्टूबर, 1979 को अंकित अशोक जालान बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

गिरफ्तारी। अभ्यावेदन पर विचार किए बिना निरोध आदेश की पुष्टि अमान्य होगी और अभ्यावेदन पर बाद में विचार करने से पुष्टि के आदेश की अयोग्यता ठीक नहीं होगी। ओम प्रकाश बहल मामले में अप्रकाशित निर्णय में इस विचार को दोहराया गया है।

उस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोफेपोसा अधिनियम की धारा 3 (1) (iv) के तहत निरोध आदेश पारित किए गए थे। 17.04.1989 पर बंदियों द्वारा अभ्यावेदन किए गए थे जो,

हालाँकि, इस पर तुरंत विचार नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ जानकारी और टिप्पणियों की आवश्यकता थी। इस बीच, मामला सलाहकार बोर्ड को भेजा गया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.04.1989 में पाया कि नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण था। 27.04.1989 पर, राज्य सरकार द्वारा हिरासत की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा 6 और 7 मई, 1989 को 23.05.1989 पर अभ्यावेदनों पर विचार किया गया। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में जो सवाल उठा वह थाः

" 5. विचार के लिए प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार करने पर निरोध आदेश की पुष्टि पूरी तरह से इस आधार पर अमान्य हो जाती है कि बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया था और

प्रतिनिधित्व पर बाद में विचार करने से उस अयोग्यता का इलाज नहीं होगा। शुरुआत में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि हमारे सामने इस बात का कोई तर्क नहीं है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में अस्पष्ट देरी हुई थी। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बहुत निष्पक्षता से कहा कि वे देरी का सवाल नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यह भी तर्क नहीं दिया कि हिरासत की पुष्टि के बाद अभ्यावेदन की अस्वीकृति एक मुद्दा नहीं था।

स्वतंत्र विचार "।

पंकज कुमार चक्रवर्ती ", जयनारायण सुकुल", हरधन सहित इस मुद्दे पर प्रासंगिक निर्णयों पर विचार करने के बाद

साहा 1 और फ्रांसेस कोरली मुलिन 1 इस न्यायालय ने कहाः

" 15. फ्रांसेस कोरली मुलिन मामले में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 26 दिसंबर, 1979 को हिरासत में लिए गए अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। समय गंवाए बिना अभ्यावेदन की प्रति सीमा शुल्क अधिकारियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी जो स्पष्ट रूप से आवश्यक थी क्योंकि जानकारी हिरासत के आदेश की ओर ले जाती थी। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया था। बंदी [2020] 2 एस. सी. आर. के खिलाफ आरोपों के बाद से तथ्य निस्संदेह जटिल थे।

डोप तस्करों के एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ संलिप्तता का खुलासा किया। सीमा शुल्क अधिकारियों की टिप्पणियां 4 जनवरी, 1980 को प्राप्त हुईं। सलाहकार बोर्ड की बैठक 4 जनवरी, 1980 को हो रही थी और इसलिए बोर्ड के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था

मिले, जब तक कि यह एक बड़ी और अनुचित जल्दबाजी में नहीं किया गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, कानूनी सलाह लेना आवश्यक पाया गया क्योंकि प्रतिनिधित्व ने कई कानूनी और

संवैधानिक प्रश्न, इसलिए, सचिव (कानून और न्यायिक) दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श के बाद, 15 जनवरी, 1980 को प्रशासक द्वारा प्रतिनिधित्व को अंततः खारिज कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई देरी होती प्रतीत होती है तो यह देखभाल की किसी कमी के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि प्रतिनिधित्व के लिए जांच एजेंसियों के परामर्श से पूरी तरह से जांच की आवश्यकता थी और

कानून पर सलाहकार।

16. हम फ्रांसेस कोरली मुलिन मामले में टिप्पणियों से सहमत हैं। प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए अनिवार्य समय कभी भी पूर्ण या जुनूनी नहीं हो सकता है। यह आवश्यकताओं और प्रतिनिधित्व किए जाने के समय पर निर्भर करता है। द. मामला भेजे जाने से पहले प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य है हिरासत में लेना। दूसरा, भले ही बोर्ड यह विचार व्यक्त करता है कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है, सरकार

प्रतिनिधित्व पर विचार करने से नजरबंदी को रद्द किया जा सकता है। द.

बोर्ड को ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम की तारीख से ग्यारह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

हिरासत में लेना। सलाहकार मंडल बंदी को उसके अनुरोध पर सुन सकता है। बोर्ड के गठन से पता चलता है कि इसमें शामिल हैं -

प्रतिष्ठित व्यक्ति जो न्यायाधीश या व्यक्ति हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। इसलिए यह उचित है कि सरकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उपरोक्त दो स्थितियों में प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाता है। यदि सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद सरकार को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इससे निपटना होगा।

और सरकार द्वारा जल्द से जल्द निपटाया जाता है। (जोर दिया गया)

.....

19. अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है, इस पर विचार करने के लिए किसी भी वैधानिक आवश्यकता से बहुत कम है।

जैसा कि सरकार बिना किसी देरी के प्रतिनिधित्व पर निष्पक्ष दिमाग से विचार करती है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि स्वतंत्र विचार की अनुपस्थिति स्पष्ट परिणाम है यदि निरोध की पुष्टि से पहले प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाता है। वास्तव में, सरकार की शक्तियों पर यह प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, सरकार का प्रतिनिधित्व पर विचार एक के लिए है

विभिन्न उद्देश्य, अर्थात्, यह पता लगाने के लिए कि क्या निरोध क़ानून के तहत शक्ति के अनुरूप है। यह हुआ है

हरधनसाह मामलामे व्याख्या कयल गेल, जतय रे, सी. जे., संविधान पीठक लेल बाजि रहल छलाह कि सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार मात्र एहि बातक पता लगयबा लेल अछि कि निरोध आदेश कानूनक अधीन शक्तिक अनुरूप अछि कि नहि। इस तरह के निपटान में बोलने का आदेश होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिनिधित्व। यह भी न्याय की विफलता नहीं है कि आदेश एक बोलने वाला आदेश नहीं है। बस इतना ही आवश्यक है कि सरकार द्वारा वास्तविक और उचित विचार किया जाना चाहिए।

20. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के संबंध में न्यायालय कानून के तथ्यों और आवश्यकताओं की रक्षा करता है, लेकिन न्यायालय बिना किसी अधिकार के किसी भी प्राधिकरण के खिलाफ अनुमान नहीं लगा सकता है। सामग्री। यह ध्यान में रखा जा सकता है कि हिरासत की पुष्टि सरकार को आदेश को रद्द करने से नहीं रोकती है।

प्रतिनिधित्व पर विचार करने पर निरोध। दूसरा, हो सकता है [2020] 2 एस. सी. आर.

ऐसे मामले हों जहां सरकार को हिरासत की पुष्टि के बाद ही प्रतिनिधित्व पर विचार करना हो। अनुच्छेद 22 के खंड (5) से पता चलता है कि प्रतिनिधित्व इसके बाद भी प्राप्त किया जा सकता है। निरोध के आदेश की पुष्टि। अनुच्छेद 22 के खंड (5) में 'उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा' शब्दों से पता चलता है कि सरकार का दायित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुष्टि होने से पहले बंदी को आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करना है। लेकिन अगर बंदी उस स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन सरकार द्वारा हिरासत के आदेश की पुष्टि करने के बाद इसे सरकार के सामने प्रस्तुत करता है, तो भी सरकार को करना होगा।

इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और यदि निरोध क़ानून के तहत प्रदत्त शक्ति के भीतर नहीं है तो बंदी को रिहा कर दें। द.

निरोध की वैधता या निरोध की पुष्टि पर निरोध का बहुत कम अंतर पड़ता है। पुष्टि को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि प्रतिनिधित्व है नजरबंदी की पुष्टि के बाद विचार किया गया। न ही यह माना जा सकता है कि इस तरह का विचार एक स्वतंत्र विचार नहीं है। पूरे सम्मान के साथ, हम वी. जे. जैन, ओम प्रकाश बहल और खैरुल हक मामलों में व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इन्हें अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है और इसलिए इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 16 में दो स्थितियों पर विचार किया गया था। एक, जहां मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से ठीक पहले अभ्यावेदन प्राप्त होता है और ऐसे संदर्भ से पहले अभ्यावेदन का निपटारा करने का समय नहीं होता है; और दूसरा, जहां सलाहकार बोर्ड को इस तरह के संदर्भ के बाद अभ्यावेदन प्राप्त होता है। यह देखा गया कि "। .... दोनों स्थितियों में विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले प्रतिनिधित्व। ऐसी स्थितियों में सरकार के लिए रिपोर्ट का इंतजार करना उचित है।

बोर्ड का "। इस तरह की टिप्पणियों के कारण पैराग्राफ 16 के उत्तरार्ध में और पैराग्राफ 19 और 20 में दिए गए थे।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

एफ) गोलम विश्वास में, के तहत हिरासत का आदेश

कोफेपोसा अधिनियम 27.05.2014 पर पारित किया गया था। 08.07.2014 पर केंद्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया था। 18.07.2014 पर सलाहकार बोर्ड को संदर्भ दिया गया था जिसने 27.08.2014 पर बताया कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था। इसके बाद, 05.09.2014 पर हिरासत की पुष्टि की गई। इस बीच, केंद्र सरकार के पास लंबित प्रतिनिधित्व को 21.07.2014 पर खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस निवेदन पर विचार किया

अनुच्छेद 11 और 15 निम्नानुसार हैः

" 11. बीच की घटनाओं को निर्धारित करने की तारीखों के साथ शुरू करना विवाद में नहीं है। दोहराने के लिए, बंदी ने अपना समर्पण कर दिया था 8-7-2014 पर प्रतिनिधित्व और वही लंबित था

केंद्र सरकार के समक्ष 18-7-2014 पर योग्यता के आधार पर विचार, जिस तारीख को अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड को मामला प्रेषित किया गया था। जब मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष लंबित था तब 21-7-2014 पर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। सलाहकार बोर्ड ने अपनी कार्यवाही का समापन किया और 27-8-2014 पर निरोध के आदेश को बनाए रखने के लिए एक निष्कर्ष दिया।

निर्विवाद रूप से, इस प्रकार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व जो सलाहकार बोर्ड को मामले के प्रेषण के समय लंबित था, उसे अग्रेषित नहीं किया गया था और इसके बजाय केंद्र द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सरकार। 15. जैसा कि स्वीकार किया जाता है, मामले में उपयुक्त सरकार, केंद्र सरकार के पास लंबित हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को नहीं भेजा गया था और इसके बजाय सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खारिज कर दिया गया था, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की नजरबंदी संवैधानिक रूप से अमान्य है। केंद्र सरकार द्वारा बाद में 21-7-2014 पर प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति

सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निरोध को बनाए रखने के लिए परिणाम है। नतीजतन, पुष्टि का क्रम भी इस विटिएशन द्वारा गैर-एस्ट प्रस्तुत किया जाता है। बहस के उपरोक्त पहलू पर किए गए दृढ़ संकल्प को देखते हुए, हम बंदी की ओर से उठाई गई अन्य याचिकाओं पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

निरोध के आदेशों के साथ-साथ पुष्टि के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। यदि वांछित नहीं है तो बंदी को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है

किसी भी अन्य मामले में "।

इस प्रकार, उपयुक्त सरकार की ओर से सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने में विफलता और सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उसकी अस्वीकृति, वे बिंदु थे जिन पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राहत दी गई थी।

14. पहले बताए गए दूसरे मुद्दे के संदर्भ में, सिद्धांत

ऊपर उल्लिखित निर्णयों से जो निकलते हैं वे हैं:

ए) पंकज कुमार चक्रवर्ती में, यह निर्धारित किया गया था:

" याचिकाकर्ताओं को एक संवैधानिक अधिकार था और राज्य सरकार पर उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का एक संबंधित संवैधानिक दायित्व था, भले ही वे उनके मामलों से पहले या बाद में किए गए हों। सलाहकार मंडल को भेजा गया "

इस निर्णय के अनुसार यह मायने नहीं रखता था कि क्या

मामलों को सलाहकार मंडल को भेजे जाने से पहले या बाद में अभ्यावेदन किए गए थे।

बी) जयनारायण सुकुल में, तत्काल कारण

पैरा 18 में प्रतिनिधित्व पर विचार करने पर निम्नानुसार जोर दिया गया था:

" प्रतिनिधित्व पर तत्काल विचार करने का कारण इतना स्पष्ट है कि इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता

दांव पर है। कोई भी देरी केवल एक गैर-जिम्मेदाराना कार्य नहीं होगा।

उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से लेकिन यह भी

असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में

बंदी का अपना प्रतिनिधित्व रखने का मौलिक अधिकार

माना जाता है और यह अनिवार्य है कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है तो संबंधित द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए

अधिकारी "।

इसके बाद हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के संबंध में जिन चार सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, उनसे निपटा गया।

पैराग्राफ 20; दूसरा सिद्धांत हैः

" दूसरा, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार करना सलाहकार बोर्ड द्वारा किसी भी कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसमें ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान v शामिल है।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार

सलाहकार बोर्ड "।

इस प्रकार यह कहा गया कि अभ्यावेदन पर विचार

सलाहकार मंडल द्वारा की गई कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए।

चौथा सिद्धांत उपयुक्त सरकार को प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व देता हैः

" उपयुक्त सरकार को मामले को साथ भेजने से पहले अभ्यावेदन पर अपनी राय और निर्णय का प्रयोग करना है

सलाहकार मंडल में बंदी के प्रतिनिधित्व के साथ "।

ग) 'हरधन साहा' में, एक ओर सरकार द्वारा और दूसरी ओर सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बीच गुणात्मक अंतर को पैरा 24 में स्पष्ट किया गया थाः

" सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करती है

अनिवार्य रूप से क्या आदेश शक्ति के अनुरूप है

क्या प्रतिनिधित्व के आलोक में पर्याप्त है नजरबंदी का कारण "।

जिन मामलों में निर्देश से पहले और निर्देश के बाद अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, उन्हें भी पैरा 29 में इस प्रकार निपटाया गया थाः

" यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व उससे पहले प्राप्त किया जाता है

मामला सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है, हिरासत

मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी इसे भेजने से पहले इस पर विचार करेगा सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व "।

डी) फ्रांसेस कोरली मुलिन में, सिद्धांत है कि

निरोध प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार बोर्ड द्वारा सुनवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए या इसकी रिपोर्ट पर फिर से "हर स्तर पर अभियान आवश्यक होने" पर जोर दिया गया था।

निर्णय के पैरा 7 में जयनारायण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है।

सुकुल 1 5 इस प्रकारः

" जब वहाँ कहा गया था कि सरकार आनी चाहिए

सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय के लिए सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजा गया, जोर समय के बिंदु पर नहीं था, बल्कि इस आवश्यकता पर था कि [2020] 2 एस. सी. आर.

सरकार को प्रतिनिधित्व पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए

बोर्ड "।

15. इन निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोर्ड द्वारा उपयुक्त सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

हमेशा गुणात्मक रूप से अलग होना चाहिए और उपयुक्त सरकार द्वारा विचार की शक्ति सलाहकार बोर्ड द्वारा किसी भी कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। पंकज कुमार चक्रवर्ती 1 8 में निर्णय के पैरा 12 में यह कहा गया था कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए सरकार की ओर से दायित्व होगा चाहे

असंवैधानिक है। आकस्मिकता क्या अभ्यावेदन थे हरधन साहा में निर्णय के पैरा 29 में पहले या बाद में प्राप्त किए जाने पर फिर से विचार किया गया था। इन सिद्धांतों के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के मामले को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जा सकता हैः

ए) यदि प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए जाने से पहले प्राप्त किया जाता है और उपयुक्त द्वारा विचार किया जा सकता है

सरकार, प्रतिनिधित्व पर अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद इस पर लिए गए निर्णय के साथ अभ्यावेदन प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेजों को भेजा जाएगा और उनका हिस्सा होना चाहिए।

बी) यदि प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए जाने से ठीक पहले प्राप्त होता है और प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो जयनारायण सुकुल 1 5 और हरधन साहा में निर्धारित कानून के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पहले तय किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रतिनिधित्व और निर्णय सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि उपयुक्त सरकार द्वारा विचार पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह भी कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

ग) यदि प्रतिनिधित्व संदर्भ दिए जाने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले पर निर्णय लेने से पहले, के अनुसार हरधन साहा में निर्धारित सिद्धांत, प्रतिनिधित्व तय किया जाना चाहिए। निर्णय के साथ-साथ प्रतिनिधित्व को तुरंत सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।

घ) यदि सलाहकार बोर्ड के निर्णय के बाद प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो निर्णय स्पष्ट हैं कि ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व पर अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त श्रेणियों के पहले और चौथे चरण में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के संबंध में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। दूसरे और तीसरे चरण में सिद्धांतों के अनुप्रयोग के संबंध में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। लेकिन उस कठिनाई को पर्याप्त स्पष्टता के साथ निपटाया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है, जयनारायण सुकुल और हरधन साहा। अगर

यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर अत्यधिक प्रयास के साथ विचार किया जाना चाहिए; और सरकार की शक्ति सलाहकार बोर्ड की शक्ति से पूरी तरह से स्वतंत्र है; और विचार का दायरा भी गुणात्मक रूप से अलग है, कोई कारण नहीं है कि सरकार द्वारा विचार को सलाहकार बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपरोक्त मामलों में से किसी ने भी दूर से यह सुझाव नहीं दिया कि सलाहकार मंडल से रिपोर्ट प्राप्त होने तक विचार का इंतजार करना चाहिए।

17. हालाँकि, यह पहली बार था कि के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय "अनुच्छेद 16 में निर्धारित किया गया था कि यह उचित होगा

सरकार ने बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए उक्त पैराग्राफ में जिन दो स्थितियों से निपटा है, वे दो स्थितियां हैंः

(क) जहां मामले से पहले अभ्यावेदन प्राप्त किया जाता है।

सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किया जाता है और जहां सलाहकार बोर्ड को मामला भेजने से पहले अभ्यावेदन का निपटान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है, और ख) जहाँ मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन प्राप्त होता है।

यह भी निर्धारित किया गया थाः
" दोनों स्थितियों में सलाहकार की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले अभ्यावेदन पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है।

बोर्ड "।

18. चूंकि के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में इस न्यायालय का निर्णय सभी बातों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था। पंकज कुमार चक्रवर्ती, जयनारायण सुकुल और हरधन साहा सहित इस मुद्दे पर पहले के निर्णय, हम उसमें निर्धारित सिद्धांतों से बंधे हैं। जब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का इतना सामना किया गया, तो उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि [2020] 2 एस. सी. आर.

के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय "उपयुक्त सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने से संबंधित मामले से संबंधित था, न कि उस संदर्भ में जहां हिरासत प्राधिकरण के रूप में एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा हिरासत की शक्ति का प्रयोग किया गया था। उनके अनुसार, यह एक बड़ा अंतर लाएगा और मामले को एक गुणात्मक रूप से अलग दिशा-निर्देश में डाल देगा।

19. अब हम इन प्रस्तुतियों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

20. शुरुआत में यह कहा जाना चाहिए कि पंकज कुमार चक्रवर्ती 1 8 और जयनारायण सुकुल में 1950 अधिनियम की धारा 3 (ii) के तहत जिलाधिकारियों द्वारा निरोध के आदेश पारित किए गए थे। संबंधित वैधानिक प्रावधानों ने जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित निरोध के ऐसे आदेशों के पारित होने के 12 दिनों के भीतर अनुमोदन की अवधारणा पर विचार किया। हरधन साहा में मीसा के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरोध के आदेश के पारित होने के 12 दिनों के भीतर राज्य सरकार की ओर से अनुमोदन की इसी तरह की अवधारणा पर विचार किया गया था। इस न्यायालय ने कमलेश कुमार 1 2 में निर्णय के पैरा 34 में इस संबंध में अंतर नोट किया था। इन निर्णयों में निरोध के आदेश किसी विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि संबंधित सरकार द्वारा पारित किए गए थे। मानित अनुमोदन के संबंध में वही तर्क 'सुशीला मफतलाल शाह' में शुरू में उन मामलों में विस्तारित किया गया था जहां हिरासत के आदेश संबंधित सरकार द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष सरकार द्वारा पारित किए गए थे।

अधिकार प्राप्त अधिकारी। हालाँकि, मामले को ठीक कर दिया गया था और कमलेश कुमार 1 में उस संबंध में अंतर को संक्षेप में बताया गया था।

21. यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी मामलों में, उपयुक्त

22. एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जो विशेष सशक्तिकरण का प्रयोग करते हुए निरोध का आदेश पारित करता है, उसकी कोई वैधानिक भूमिका नहीं होती है - उस स्तर पर खेलें जब सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होती है।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

ईपोर्ट पर उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना है और नहीं

ई विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी। यह इस स्तर पर भी प्रासंगिक हो सकता है।

की रिपोर्ट से जुड़ी गोपनीयता के तत्व पर ध्यान दें

दूरदर्शी बोर्ड। कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है:

" 8. सलाहकार मंडल। - संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) और खंड (7) के उपखंड (सी) के प्रयोजनों के लिए, (क) केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार,

जब भी आवश्यक हो, एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करें।

जिनमें से प्रत्येक में एक अध्यक्ष और दो अन्य होंगे।

उपखंड में निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति (क) संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) का;

(ख) धारा 9 में अन्यथा दिए गए प्रावधान को छोड़कर, उपयुक्त

सलाहकार बोर्ड को बनाने में सक्षम बनाने के लिए खंड (ए) के तहत गठित सलाहकार बोर्ड को उसके संबंध में निर्देश संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) के उपखंड (ए) के तहत रिपोर्ट;

(ग) सलाहकार बोर्ड जिसके लिए एक संदर्भ दिया जाता है

खंड (ख) निर्देश पर विचार करने के बाद और इसके सामने रखी गई सामग्री और आगे की मांग के बाद

जानकारी जो उपयुक्त के लिए आवश्यक हो सकती है

सरकार या उपयुक्त सरकार के माध्यम से या संबंधित व्यक्ति से इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए किसी व्यक्ति से, और यदि, किसी विशेष मामले में, वह ऐसा करना आवश्यक समझती है या यदि संबंधित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता है,

उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद, एक अलग पैराग्राफ में अपनी राय निर्दिष्ट करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करें कि क्या वह ऐसा करेगा या नहीं।

संबंधित और ग्यारह सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख;

((घ) जब सदस्यों के बीच मतभेद हो

सलाहकार बोर्ड का गठन बहुमत की राय

ऐसे सदस्यों को बहुमत की राय माना जाएगा।

ऐसे सदस्यों की राय मानी जाएगी -

(ङ) एक व्यक्ति जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत निरोध का आदेश दिया गया है, वह संदर्भ से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी कानूनी व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा।

सलाहकार बोर्ड, और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट के उस हिस्से को छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय निर्दिष्ट की गई है,

गोपनीय;

(च) प्रत्येक मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने सूचित किया है कि

उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार हिरासत की पुष्टि कर सकती है। आदेश दें और संबंधित व्यक्ति की नजरबंदी को उस अवधि के लिए जारी रखें जो वह उचित समझता है और प्रत्येक मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में संबंधित व्यक्ति की नजरबंदी के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी।

और उस व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दें।

23. धारा 8 के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट केवल उपयुक्त सरकार के उपयोग के लिए है और रिपोर्ट के परिचालन भाग के अलावा, जिसे उप-धारा (सी) के अनुसार एक अलग पैराग्राफ में निर्दिष्ट किया जाना है, उप-धारा के संदर्भ में अधिदेश।

(ङ) सलाहकार मंडल की रिपोर्ट को पूरी तरह से गोपनीय रखना है। इस प्रकार, एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जिसने वैधानिक इरादे से निरोध का आदेश पारित किया हो, उसे रिपोर्ट की जानकारी नहीं होनी चाहिए और न ही क़ानून में ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए किसी भी भूमिका पर विचार किया गया है।

सलाहकार मंडल की राय पर विचार करने का चरण। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार के लिए कुछ गुणात्मक जानकारी प्रदान कर सकती है, लेकिन विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी को कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है जो हिरासत प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यदि ऐसा है, तो क्या एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी जिसने निरोध का आदेश पारित किया था, वह उचित सरकार के संदर्भ में के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय के पैराग्राफ 16 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई बातों से बाध्य होगा?

24. यहाँ यह भी कहा जाना चाहिए कि जब के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही को 23.01.1991 पर तय किया गया था, तो हिरासत का आदेश पारित करने वाले एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी की भूमिका के बारे में जो निर्णय लिया गया था, वह सुशीला मफतलाल शाह में दिया गया था। जो कानून इस क्षेत्र को धारण कर रहा था वह मानित अनुमोदन की अवधारणा थी जैसा कि सुशीला मफतलाल शाह में समझाया गया था और ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को किया गया कोई भी प्रतिनिधित्व जिसने निरोध का आदेश पारित किया था, अंकित अशोक जालान बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [उदय उमेश ललित, जे।]

'सुशीला मफतलाल शाह' में निर्णय के संदर्भ में, उपयुक्त सरकार द्वारा स्वयं विचार किया जा सकता था, न कि ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा। अमीर शाद खान 1 1 में बाद का निर्णय तीन न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा 09.08.1991 पर दिया गया था और सुशीला मफतलाल शाह और अमीर शाद खान 1 1 के बीच निर्णयों में स्पष्ट संघर्ष को इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा हल किया गया था।

कमलेश कुमार 1 2 को 17.04.1995 पर प्रस्तुत किया गया, यानी के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय के काफी बाद।

25. इस प्रकार, यदि कानून अब तय हो गया है कि विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को एक अभ्यावेदन दिया जा सकता है जिसने आदेश पारित किया था

उस में निहित शक्ति के अनुसार निरोध और ऐसे निरोध प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए, के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में निर्णय के पैराग्राफ 16 में दिए गए संबंधित सिद्धांत ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए शासी सिद्धांत नहीं होंगे। यह कहा जाना चाहिए कि चर्चा

के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में 'विशुद्ध रूप से उस संदर्भ में था जहां निरोध का आदेश उपयुक्त सरकार द्वारा पारित किया गया था न कि विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा। अतः उक्त अनुच्छेद 16 में निर्धारित सिद्धांत को इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ द्वारा दिए गए बाद के निर्णय के आलोक में समझा जाना चाहिए।

कमलेश कुमार 1 2. 26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, पहले दो प्रश्नों का हमारा उत्तर यह है कि निरोध प्राधिकरण को इस पर विचार करना चाहिए था -

स्वतंत्र रूप से और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व।

अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तत्काल मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि प्रायोजक प्राधिकरण की टिप्पणियों के संबंध में

निरोध प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधित्व पहले ही प्राप्त किया जा चुका था। 27.11.2019 पर पत्र प्राप्त होने के बाद कि हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत में प्राप्त किया गया था, प्रतिनिधित्व पर विचार करने का समय हिरासत प्राधिकरण के लिए टिक करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रतिनिधित्व पर केवल 14.01.2020 पर विचार किया गया था और इस तरह के विलंबित विचार का कारण यह है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया गया था। हम पहले ही पा चुके हैं कि हिरासत प्राधिकरण केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार, 27.11.2019 से 14.01.2020 तक प्रतिनिधित्व पर विचार न करने के लिए कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में निरोध प्राधिकरण की ओर से पूर्ण निष्क्रियता ने निरोधकों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. हम इस बात से अवगत हैं कि हम जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, वह नेतृत्व कर सकता है

कुछ विसंगति के लिए और स्पष्ट द्विभाजन हो सकता है जब ऐसे विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए अभ्यावेदन एक साथ किए जाते हैं जिन्होंने निरोध का आदेश पारित किया था और उपयुक्त सरकार को। यदि हम के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही के अनुच्छेद 16 के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं तो उपयुक्त सरकार के लिए सलाहकार बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने तक इंतजार करना उचित होगा, जबकि साथ ही विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी जिसने निरोध प्राधिकरण के रूप में काम किया था, वह प्रतिनिधित्व पर अधिकतम अभियान के साथ विचार करने के लिए बाध्य होगा। कभी-कभी हिरासत प्राधिकरण अर्थात् विशेष रूप से सशक्त अधिकारी और उपयुक्त सरकार के साथ-साथ सलाहकार बोर्ड को प्रतियों के साथ एक एकल अभ्यावेदन तैयार किया जाता है। ऐसी स्थितियों में असंगति होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिसे किसी स्तर पर ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, इस तरह की कठिनाई या विसंगति इस धारणा का आधार नहीं हो सकती है कि एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को हिरासत प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हुए भी उन्हीं सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाएगा जो के. एम. अब्दुल्ला कुन्हियो के पैराग्राफ 16 में निर्धारित किए गए हैं।

28. चूंकि वर्तमान मामले में निरोध प्राधिकरण की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता थी, जिसे ऊपर बताए गए अभ्यावेदन से निपटने में एक अभ्यावेदन संबोधित किया गया था, हम मानते हैं कि निरोधकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था और निरोधकों को उस मामले में निवारण का अधिकार है। इसलिए, हम इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं और निरोध आदेशों के संदर्भ में बंदियों की निरंतर नजरबंदी को अवैध, अमान्य और असंवैधानिक मानते हैं।

29. इसलिए इस रिट याचिका की अनुमति है। निरोध आदेश रद्द कर दिए जाते हैं और बंदियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य कार्यवाही या अपराध के संबंध में उनकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

हेमंत गुप्ता, जे।

1. मैंने भाई जस्टिस ललित द्वारा लिखे गए विस्तृत फैसले को पढ़ा है, लेकिन मैं अपने विचारों से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हूं। उसके द्वारा व्यक्त किया गया। संक्षिप्तता के लिए तथ्यों को यहाँ दोहराया नहीं गया है।

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

2. मेरे विचार में, के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी. एल. अब्दुल खादर बनाम में निर्णय। भारत संघ और अन्य 1 ने उठाए गए मुद्दे को शामिल किया है, क्योंकि एक बार मामला सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने के बाद,

इसके बाद प्राप्त अभ्यावेदन को भी इसके पास भेजा जाना आवश्यक है। हालाँकि, निरोध प्राधिकरण इस निरोध आदेश को रद्द करने के अपने अधिकार को बरकरार रखता है जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की राय को अस्वीकार करता है।

3. विदेशी मुद्रा संरक्षण की धारा 3 और

तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 2 केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के पद के विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को एक आदेश देने का अधिकार देता है, जिसमें किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है। निरोध प्राधिकरण के पास सामान्य खंड अधिनियम, 1897 3 की धारा 21 को देखते हुए निरोध आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जबकि एक उपयुक्त सरकार सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निरोध को रद्द करने या निरोध के आदेश की पुष्टि करने का आदेश पारित करती है। निरोध प्राधिकरण के लिए रद्द करने के लिए विचार यह देखने के लिए है कि क्या निरोध आदेश में है कानून के तहत शक्ति के अनुरूप, जबकि सलाहकार बोर्ड प्रतिनिधित्व पर यह जांचने के लिए विचार करता है कि क्या निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सलाहकार बोर्ड का विचार एक अतिरिक्त सुरक्षा है और उपयुक्त सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करने का विकल्प नहीं है।

4. प्रतिनिधित्व के विचार का पहला भाग, कि क्या निरोध का आदेश के तहत शक्ति के अनुरूप है

कानून, इस बारे में कोई अंतर नहीं करता है कि क्या निरोध प्राधिकरण केंद्र या राज्य सरकार है या उस ओर से एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी है। निरोध प्राधिकरण द्वारा निरोध के लिए विचार इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या निरोध का आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है। दूसरी ओर, सलाहकार बोर्ड जाँच करता है कि क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है। इसलिए, एक बार जब सरकार एक निरोध प्राधिकरण के रूप में निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए निरोधकर्ता के प्रतिनिधित्व की जांच कर रही है, तो केवल यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा निरोध आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है, जबकि, सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बाद, सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। सरकार द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग, व्यवहार करते समय

1 (1991) 1 एससीसी 476

2 संक्षेप में "कोफेपोसा अधिनियम"

3 संक्षेप में "1897 अधिनियम" [2020] 2 एस. सी. आर.

एक निरोध प्राधिकरण के रूप में प्रतिनिधित्व के साथ और सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर विचार करते हुए, दो अलग-अलग और अलग-अलग क्षेत्रों में है।

5. जयनारायण सुकुल बनाम में संविधान पीठ। पश्चिम बंगाल राज्य ने निवारक के तहत निरोध आदेश पर विचार किया

निरोध अधिनियम, 1950। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने बंदी के प्रतिनिधित्व के संबंध में पालन किए जाने वाले चार सिद्धांतों को स्पष्ट किया। माननीय न्यायमूर्ति ललित द्वारा पारित आदेश में ऐसे चार सिद्धांतों को दोहराया गया है। उपरोक्त अधिनियम के तहत निरोध की शक्ति राज्य या केंद्र सरकार के तहत निहित नहीं थी, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पर थी जो विशेष रूप से राज्य सरकार। सलाहकार बोर्ड की राय पर उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाना आवश्यक था जो या तो निरोध आदेश की पुष्टि कर सकती है या यदि सलाहकार बोर्ड की राय में, निरोध के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं पाया जाता है, तो निरोध आदेश को रद्द कर सकती है। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 20. मोटे तौर पर, बंदियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में चार सिद्धांतों का पालन किया जाना है। सबसे पहले, उपयुक्त प्राधिकारी बंदी को प्रतिनिधित्व करने और बंदी के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करने का अवसर देने के लिए बाध्य है। दूसरा, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार सलाहकार बोर्ड द्वारा किसी भी कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसमें सलाहकार बोर्ड द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार भी शामिल है। तीसरा, विचार के मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यह सच है कि उचित प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए लिए गए समय के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह याद रखना होगा कि सरकार को नागरिकों के शासन में सतर्क रहना होगा। एक नागरिक का अधिकार राज्य के सहसंबंधी कर्तव्य को बढ़ाता है। चौथा, उपयुक्त सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के साथ मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजने से पहले प्रतिनिधित्व पर अपनी राय और निर्णय का प्रयोग करना है। यदि उपयुक्त सरकार बंदी को रिहा कर देगी तो सरकार इस मामले को सलाहकार मंडल को नहीं भेजेगी। लेकिन अगर सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा नहीं करती है तो सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व के साथ मामले को सलाहकार बोर्ड को भेजेगी। यदि इसके बाद सलाहकार बोर्ड एक राय व्यक्त करेगा

बंदी की रिहाई के पक्ष में सरकार रिहा करेगी

4 (1970) 1 एस. सी. सी. 219 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[हेमंत गुप्ता, जे।]

हिरासत में ले लिया। यदि सलाहकार बोर्ड इसके खिलाफ कोई राय व्यक्त करेगा बंदी की रिहाई सरकार अभी भी अभ्यास कर सकती है

बंदी को रिहा करने की शक्ति। "

(जोर दिया गया)

6. प्रतिनिधित्व पर विचार का दूसरा भाग

उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात निरोध प्राधिकरण द्वारा बंदी पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसका सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार से कोई संबंध नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विचार के मामले में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि विचार के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लिए गए समय के बारे में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, हालांकि सरकार को नागरिकों के अधिकारों के संबंध में सतर्क रहना होगा। इस तरह के अधिकार राज्य पर एक मूल कर्तव्य को बढ़ाते हैं।

7. विमलचंद जवांतराज में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ

जैन वी। श्री प्रधान और अन्य ने एक ऐसे मामले की जांच की जिसमें राज्य सरकार के एक विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी ने निरोध आदेश पारित किया था। निरोध को निरस्त करने की मांग करने के लिए अभ्यावेदन ऐसे अधिकारी को भेजा गया था जैसे कि निरोध प्राधिकरण। बंदी की हिरासत की पुष्टि करने वाला आदेश की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पारित किया गया था हिरासत प्राधिकरण द्वारा सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड ने बताया कि बंदी को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण थे और इस तरह की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हिरासत के आदेश की पुष्टि की गई। इन परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया था कि हिरासत के आदेश की पुष्टि विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार किए बिना की गई थी। पीठ ने खैरुल हक बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले को मंजूरी दी। डब्ल्यू. बी. 'राज्य ने 10-9 69 पर निर्णय लिया, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 3 ..... तथ्य यह है कि अनुच्छेद 22 (5) निरोध का आदेश देता है

बंदी को जल्द से जल्द मौका देने का अधिकार

जब बनाया जाता है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उसका शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए यथासंभव , अन्यथा, यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत करने का दायित्व

प्रतिनिधित्व करने का सबसे पहला अवसर दोनों को खो देता है उद्देश्य और अर्थ "।

5 (1979) 4 एस. सी. सी. 401

61969 के डब्ल्यू. पी. सं. 246 ने 10-9-69

[2020] 2 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

8. से उद्धृत करने के बाद विमलचंद जवानराज जैन में यह न्यायालय

खैरुल हक का मामला, निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

" 4. इस प्रकार एक बंदी को दो अलग-अलग सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाते हैं;

एक यह है कि उसके मामले को इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।

राय यदि उसे तीन से अधिक समय के लिए हिरासत में रखने की मांग की जाती है

महीनों और दूसरा यह है कि उसे जल्द से जल्द खर्च किया जाना चाहिए।

के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अवसर

निरोध और इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए

किसी भी आदेश से पहले जितनी जल्दी हो सके प्राधिकरण को हिरासत में लेना

नजरबंदी की पुष्टि करना। न ही सुरक्षा इस पर निर्भर है

अन्य और दोनों का निरीक्षण निरोध प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। यह. हिरासत प्राधिकरण के लिए यह कहने का कोई जवाब नहीं है कि

बंदी का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था

और सलाहकार बोर्ड ने प्रतिनिधित्व पर विचार किया है और

फिर हिरासत के पक्ष में खुद को व्यक्त करते हुए एक रिपोर्ट बनाई। यहां तक कि

यदि सलाहकार बोर्ड के पास अपनी राय में एक रिपोर्ट है हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है, राज्य सरकार

इस तरह की राय से बाध्य नहीं है और यह अभी भी विचार कर सकता है

बंदी का प्रतिनिधित्व या अन्यथा, पुष्टि करने से इनकार

बंदी को हिरासत में लेने और रिहा करने का आदेश। हिरासत प्राधिकरण

इसलिए, बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बाध्य है

सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

मामले के संबंध में, अपने निर्णय पर आएं कि पुष्टि करनी है या नहीं

नजरबंदी या बंदी को रिहा करने का आदेश।

(जोर दिया गया)

9. इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिनिधित्व

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में हिरासत प्राधिकरण द्वारा पहले विचार नहीं किया गया था सलाहकार बोर्ड ने नजरबंदी के आदेश की पुष्टि की,

इस प्रकार निरोध प्राधिकरण अनुच्छेद 22 के खंड (5) के संदर्भ में उस पर लगाए गए संवैधानिक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा था।

10. फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा और अन्य '

प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निरोध का आदेश पारित किया गया था

दिल्ली से। यह पाया गया कि बंदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सलाहकार मंडल को भेजा गया। मामले को ध्यान में रखते हुए

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ जयनारायण सुकुल ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

7 (1980) 2 एस. सी. सी. 275 अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

" 5 ..... हम सहमत हैंः (1) निरोध प्राधिकरण को प्रदान करना चाहिए

बंदी को प्रतिनिधित्व करने का एक बहुत ही प्रारंभिक अवसर, (2) निरोध प्राधिकरण को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व पर विचार करना चाहिए

यथासंभव, और यह, अधिमानतः, प्रतिनिधित्व से पहले होना चाहिए सलाहकार बोर्ड को भेजा जाता है, (3) प्रतिनिधित्व अनिवार्य है

बोर्ड द्वारा अपना गठन करने से पहले सलाहकार बोर्ड को भेजा जाए

रिपोर्ट, और (4) के निरोध प्राधिकरण द्वारा विचार

प्रतिनिधित्व सुनवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए

बोर्ड या इसकी रिपोर्ट, अभियान हर स्तर पर आवश्यक है। हम,

हालांकि, यह जोड़ने के लिए जल्दी करें कि समय-अनिवार्य कभी नहीं हो सकता है पूर्ण या जुनूनी। न्यायालय की टिप्पणियां ऐसी नहीं होनी चाहिए।

समझ में आया। आवश्यकता के आधार पर ली-वे होना चाहिए।

(हम मामले के "परिस्थितियों") शब्द का उपयोग करने से बचते हैं। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, एक ऐसा मामला जहां एक बंदी नहीं बनाता है

निरोध प्राधिकरण के लिए इस पर विचार करना या करना असंभव है इसे समय पर या एक मामले में बोर्ड को भेजें जहां एक बंदी बनाता है

सलाहकार बोर्ड इस संदर्भ को लेता है कि हिरासत प्राधिकरण उससे पहले प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं कर सकते हैं लेकिन केवल

स्वयं विचार किए बिना इसे बोर्ड को भेज दें। कई ऐसी परिस्थितियाँ समय से बाध्यकारी प्रस्थान उत्पन्न कर सकती हैं।

अनिवार्य है। लेकिन सुस्ती के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जा सकता है। उदासीनता। अनावश्यक के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जा सकता है।

विलंब। लेकिन, भत्ता निश्चित रूप से आवश्यक के लिए दिया जाना चाहिए।

शामिल हैं। थोड़े से की आवश्यकता को समझाने का बोझ समय से प्रस्थान-अनिवार्य हिरासत प्राधिकरण पर है।

(जोर दिया गया)

11. विमलचंद जवांतराज जैन में इस न्यायालय के निर्णय

फ्रांसेस कोरली मुलिन पर संविधान पीठ ने विचार किया था।

एम. अब्दुल्ला कुन्ही, जिसमें विमलचंद में निर्णय

एन. टी. आर. जे. जैन, खैरुल हक और ओम प्रकाश बहल बनाम। संघ का

खारिज कर दिए गए और फ्रांसेस कोरली मुलिन को मंजूरी दे दी गई।

संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 11. यह अब विवाद के दायरे से परे है कि संवैधानिक

अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

नहीं। 845 1979 का निर्णय 15 अक्टूबर, 1979 [2020] 2 एस. सी. आर.

आवश्यक निहितार्थ एक उचित अधिकार के संवैधानिक अधिकार की गारंटी देता है

प्रतिनिधित्व पर विचार करना। दूसरा, का दायित्व

सरकार बंदी को एक अवसर प्रदान करने के लिए

प्रतिनिधित्व और इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करना इससे अलग है

नजरबंदी के मामले को साथ भेजने का सरकार का दायित्व

प्रतिनिधित्व पर विचार करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन, निर्भर नहीं हो सकता ऐसे प्रतिनिधित्व पर बोर्ड के विचारों पर। इसे करना पड़ता है।

प्रभावित हुए बिना स्वयं प्रतिनिधित्व पर विचार करें।

बोर्ड के ऐसे किसी भी दृष्टिकोण से। सरकार का दायित्व

प्रतिनिधित्व पर विचार करना दायित्व से अलग है

सुनवाई के समय प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए बोर्ड

संदर्भों को। सरकार प्रतिनिधित्व पर विचार करती है कि

अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि क्या आदेश के अनुरूप है

कानून के तहत शक्ति। दूसरी ओर, बोर्ड इस पर विचार करता है कि

प्रतिनिधित्व और यह जांचने के लिए कि क्या बंदी का मामला

हिरासत के लिए पर्याप्त मामला है। द्वारा विचार किया गया

बोर्ड एक अतिरिक्त सुरक्षा है और इसका विकल्प नहीं है सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार करना। अधिकार।

सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना, है -

अनुच्छेद 22 के खंड (5) द्वारा संरक्षित है और यह स्वतंत्र है

बंदी के मामले पर विचार और उसके प्रतिनिधित्व द्वारा

सी. एल. के अधीन सलाहकार बोर्ड। (4) धारा के साथ पठित अनुच्छेद 22

8 (ग) अधिनियम "।

(जोर दिया गया)

12. बाद में, फ्रांसेस कोरली मुलिन मामले पर विचार करते हुए,

संस्थान पीठ ने कहा कि समय-विचार के लिए अनिवार्य है

किसी बंदी का प्रतिनिधित्व कभी भी निरपेक्ष या जुनूनी नहीं हो सकता है, यह उन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है जिनके तहत प्रतिनिधित्व किया जाता है। अगर

प्रतिनिधित्व के निपटारे के लिए पर्याप्त समय नहीं है,

हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ-साथ सलाहकार मंडल को भी भेजा जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 16. हम फ्रांसेस कोरली मुलिन की टिप्पणियों से सहमत हैं।

मामला। प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए आवश्यक समय

कभी भी पूर्ण या जुनूनी न बनें। यह आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और वह समय जिस पर प्रतिनिधित्व किया जाता है।

द एंकिट अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उस स्थिति में अभ्यावेदन को भी भेजा जाना चाहिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले के साथ सलाहकार मंडल। द.

निरोध के मामले के बाद अभ्यावेदन प्राप्त किया जा सकता है

सलाहकार मंडल की रिपोर्ट। न ही यह कहा जा सकता है कि सरकार ने प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी की है,

अनावश्यक रूप से बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार करना। इसके लिए उचित है

हिरासत में लेना। दूसरा, भले ही बोर्ड यह विचार व्यक्त करे कि नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण है, सरकार के बाद

बोर्ड को तारीख से ग्यारह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हिरासत में लेना। सलाहकार मंडल हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुन सकता है।

निवेदन करें। बोर्ड के संविधान से पता चलता है कि इसमें शामिल हैं -

प्रतिष्ठित व्यक्ति जो न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति हैं उच्च न्यायालय से। इसलिए यह उचित है कि सरकार

केवल उपरोक्त दो स्थितियों में प्रतिनिधित्व पर विचार करता है

बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। यदि प्रतिनिधित्व

सलाहकार बोर्ड द्वारा किए जाने के बाद सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है

उसकी रिपोर्ट, वहाँ निश्चित रूप से भेजने का कोई सवाल नहीं हो सकता है

सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व। इससे निपटना होगा।

और सरकार द्वारा जल्द से जल्द निपटाया जाता है।

(जोर दिया गया)

13. बाद में उसी फैसले में, यह माना गया कि कोई नहीं है

पुष्टि करने से पहले प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कानूनी आदेश

हिरासत में लिया। जब तक, सरकार यानी नजरबंदी

ओ. आर. आई. टी. बिना किसी देरी के प्रतिनिधित्व पर विचार करता है।

लेकिन मन, वहाँ एक किया गया है कि निष्कर्ष के लिए कोई आधार नहीं है

की पुष्टि से पहले स्वतंत्र विचार यह। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लागू करने का कोई औचित्य नहीं है

निरोध प्राधिकरण की शक्ति पर प्रतिबंध। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 19. अनुच्छेद के खंड (5) के तहत कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है। 22 , बहुत कम किसी भी वैधानिक आवश्यकता पर विचार करने के लिए

निरोध के आदेश की पुष्टि करने से पहले प्रतिनिधित्व। जितने लंबे समय तक

क्योंकि सरकार बिना किसी देरी के प्रतिनिधित्व पर विचार करती है एक निष्पक्ष मन के साथ यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि

स्वतंत्र विचार की अनुपस्थिति स्पष्ट परिणाम है यदि

नजरबंदी। वास्तव में, इसे लागू करने का कोई औचित्य नहीं है सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध। जैसा कि पहले देखा जा चुका है,

प्रतिनिधित्व पर सरकार का विचार एक के लिए है

अलग उद्देश्य, अर्थात् यह पता लगाने के लिए कि क्या हिरासत में है

कानून के तहत शक्ति के अनुरूपता। यह हुआ है हरधन साहा मामले में समझाया गया, जहाँ रे, सी. जे., के लिए बोल रहे थे

सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या निरोध आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है।

इस तरह के निपटान में बोलने का आदेश होने की आवश्यकता नहीं है।

बोलने का आदेश होना। बस इतना ही जरूरी है कि सरकार द्वारा वास्तविक और उचित विचार किया जाए।

(जोर दिया गया)

14. के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही में इस न्यायालय की संविधान पीठ

ईआर ने इस स्थिति की जांच की कि यदि बंदी एक प्रतिनिधित्व करता है

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी नजरबंदी की पुष्टि की जाती है।

कोफेपोसा अधिनियम की धारा 8, सरकार को अभी भी करना है

इस तरह का प्रतिनिधित्व करें और आकलन करें कि क्या निरोध नहीं है

कानून के तहत प्रदत्त शक्ति। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का अवसर, इससे पहले कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी पुष्टि हो जाए

अधिनियम की धारा 8 के तहत। लेकिन अगर बंदी व्यायाम नहीं करता है

उस स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का उसका अधिकार, लेकिन उसे प्रस्तुत करता है सरकार द्वारा आदेश की पुष्टि करने के बाद

नजरबंदी, सरकार को अभी भी इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करना है

और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर दें यदि हिरासत अधिकार के भीतर नहीं है कानून के तहत प्रदान किया गया। अंकित अशोक जालान बनाम के आदेश की पुष्टि।

भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

नजरबंदी बंदी के खिलाफ निर्णायक नहीं है। इसे निरस्त किया जा सकता है।

धारा 11 के तहत या बंदी के प्रतिनिधित्व पर स्वतः संज्ञान। "

(जोर दिया गया)

15. उपरोक्त निर्णय इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि निरोध

सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया था, हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि निरोध आदेश किसी विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए विचार केवल यह है कि क्या ऐसा निरोध आदेश कानून के अनुरूप है। इस तरह का विचार सभी हिरासत में लिए गए अधिकारियों पर लागू होता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या दोनों में से कोई विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी। विशेष रूप से सशक्त व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए अधिकारी या राज्य और केंद्र सरकारों का विचार इस बात तक सीमित है कि निरोध आदेश कानून के अनुरूप है या नहीं।

16. इसके बाद, मामले को फिर से सदन के समक्ष रखा गया।

कमलेश कुमार ईश्वरदास पटेल बनाम में संविधान पीठ। महाराष्ट्र और अन्न राज्य में अलग-अलग विचारों के कारण भारत संघ और अन्य। वी. सुशीला मफतलाल शाह और अन्य 10 और अमीर शाद खान बनाम। एल. हमिंग्लियाना और अन्य "। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 22 का खंड (5) निवारक निरोध का आदेश देने वाले प्राधिकारी पर दोहरी बाध्यता अधिरोपित करता है। सबसे पहले, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द उन आधारों के बारे में सूचित करना जिनके आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है।

बनाया गया; और दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करना। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1897 के अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में, प्राधिकरण जिसने आदेश दिया है

नजरबंदी के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। इसके अलावा, बंदी को उस प्राधिकरण को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है जो निरोध को रद्द करने के लिए सक्षम है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 14. इसलिए अनुच्छेद 22 (5) का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि -

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है

निरोध का आदेश जो न केवल सलाहकार को दिया जा सकता है

बोर्ड लेकिन हिरासत प्राधिकरण को भी, यानी, प्राधिकरण कि

निरोध का आदेश दिया है या जारी रखने का आदेश दिया है

ऐसा निरोध, जो तत्काल राहत देने के लिए सक्षम है

उक्त आदेश के साथ-साथ किसी अन्य प्राधिकरण को निरस्त करना जो

9 (1995) 4 एससीसी 51

10 (1988) 4 एस. सी. सी. 490

11 (1991) 4 एससीसी 39 [2020] 2 एस. सी. आर.

निरोध के आदेश को निरस्त करने और इस तरह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को राहत देने के लिए कानून के तहत सक्षम। प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के भीतर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए हिरासत का आदेश देने वाले प्राधिकरण पर एक संबंधित दायित्व होता है।

ऐसे अधिकारी जिन्हें इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करने की आवश्यकता है।

17. संविधान पीठ ने कहा कि जब उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सशक्त अधिकारी द्वारा निरोध आदेश पारित किया जाता है, तो बंदी को हिरासत के आदेश के खिलाफ उक्त अधिकारी को अभ्यावेदन देने का अधिकार है। विचार करने में निरोध प्राधिकरण की विफलता

इस तरह के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए निरोध को प्रदान किए गए अधिकार से इनकार किया जाता है। बंदी का यह अधिकार राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के उसके अधिकार के अतिरिक्त है। 18. आपराधिक अपील सं। 764-765 1994 के कमलेशकुमार ईश्वरदास पटेल मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने विचार किया

तीन प्रश्न जिनकी जाँच बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने की थी। पहला सवाल यह था कि क्या एक विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के पास निरोध के आदेश को रद्द करने की स्वतंत्र शक्ति थी। दूसरा प्रश्न वर्तमान मामले में विचार के लिए प्रासंगिक नहीं है।

19. तीसरे प्रश्न के संबंध में एक तर्क उठाया गया था कि निरोध प्राधिकरण की ओर से विचार करने में विफलता बंदी के प्रतिनिधित्व के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत मान्यता प्राप्त प्रतिनिधित्व करने के बंदी के अधिकार से इनकार किया जाता है, जो निरोध को अवैध बनाता है। उपरोक्त मामले में, यह पाया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर हिरासत का आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि हिरासत प्राधिकरण की ओर से विचार करने और निर्णय लेने में विफलता

निरोध के आदेश के लिए प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय इस प्रभाव के लिए है कि निरोध प्राधिकरण हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जो एक संवैधानिक ए. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत अधिदेश। इस तरह के प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर स्वतंत्र रूप से तय किया जाना चाहिए और सलाहकार बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार, निरोध का अधिकार विशेष रूप से सशक्त अधिकारी या राज्य या केंद्र सरकार सहित निरोध प्राधिकरण द्वारा उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करना है। यह है।

अनुच्छेद 22 के खंड (5) द्वारा संवैधानिक रूप से अनिवार्य। इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निरोध प्राधिकरण जिसमें राज्य शामिल है सरकार या केंद्र सरकार, इस बात की जांच करती है कि क्या निरोध आदेश कानून के अनुरूप है जबकि, उपयुक्त सरकार

सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर विचार करते समय यह जांच की जाती है कि क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण था। उस स्तर पर उपयुक्त सरकार निरोध के संबंध में सामग्री की पर्याप्तता के संबंध में सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की जांच करती है। निरोध प्राधिकरण द्वारा विचार अलग और विशिष्ट है कि निरोध आदेश को निरस्त करने पर विचार किया जाए और सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों का आकलन करते समय उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाए। इस प्रकार, यह मायने नहीं रखता कि निरोध आदेश किसी विशेष रूप से सशक्त अधिकारी या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था क्योंकि ऐसे सभी अधिकारियों के पास निरोध आदेश को रद्द करने का समान अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 22 का खंड (5) बंदी को अधिकार देकर उसके अधिकार की रक्षा करता है। प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें, जिस पर निरोध प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, बशर्ते कि इसमें बिना किसी कारण के देरी न हो। दूसरी ओर, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त सामग्री के संबंध में सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4) द्वारा बंदी को प्रदान किया गया है।

20. के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही के फैसले की जाँच गोलम विश्वास बनाम में एक अन्य खंड पीठ के फैसले द्वारा की गई थी। भारत संघ

और एक अन्य 1 2, जिसमें विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी ने दो पारित किए

नजरबंदी के आदेश। निरोध आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। बंदी को हिरासत में लेने के विचार को 8.7.2014 पर सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था। केंद्र सरकार द्वारा 5.9.2014 पर निरोध के आदेश की पुष्टि की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा 21.7.2014 पर प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार, उल्लेख करते हुए

एम. अब्दुल्ला कुन्ही और दोहराते हुए कि प्रतिनिधित्व की कोई समय सीमा नहीं है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 14. जैसा कि उद्धृत पाठ से पता चलता है, संक्षेप में, यह दोहराया गया था कि यदि एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है

और इसे ध्यान में रखते हुए इसका निपटारा करने का कोई समय नहीं है

सलाहकार बोर्ड को मामले के संदर्भ के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित समय-सीमा, प्रतिनिधित्व को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिकॉर्ड के साथ सलाहकार बोर्ड को भी भेजा जाना चाहिए। सलाहकार बोर्ड की राय की बाध्यकारी प्रकृति को देखते हुए, हमारी समझ में, यह महत्वपूर्ण है, यदि अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर यह निरोध के खिलाफ रोक लगाने का निर्णय लेता है। यदि सलाहकार बोर्ड का मानना है कि निरोध आदेश अमान्य है, तो उपयुक्त सरकार के लिए इसे जारी रखना खुला नहीं है और उसे अनिवार्य रूप से इसे रद्द करना होगा, हालांकि विपरीत समान नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि सलाहकार बोर्ड नजरबंदी के आदेश को बरकरार रखता है, तो भी केंद्र सरकार के लिए प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नजरबंद व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार रहेगा। यह तथ्य कि हिरासत के आदेश को जारी रखने के खिलाफ सलाहकार बोर्ड की राय उपयुक्त सरकार के लिए अंतिम है, हमारी राय में, उपयुक्त सरकार से सलाहकार बोर्ड को लंबित प्रतिनिधित्व भेजने की आवश्यकता के लिए प्रेरक अनिवार्यता है ताकि वह हिरासत के मामले पर प्रभावी, समय पर और सार्थक विचार के लिए हिरासत के आदेश के खिलाफ लिए गए आधारों के पूरे परिदृश्य को पार कर सके। इस आवश्यकता को अनिवार्य रूप से मान्यता दी गई है।

और इसके संविधान पीठ के दो निर्णयों द्वारा अधिदेशित

न्यायालय, किसी भी तरह से, उचित को कमजोर नहीं करता है। इस पर विचार करने और निपटाने का सरकार का अधिकार

निवारक निरोध कानून के तहत किसी भी बंदी का प्रतिनिधित्व। केंद्र सरकार का या उस मामले के लिए कोई अधिकार

एक पर विचार करने और निपटाने के लिए उपयुक्त सरकार

निवारक रूप से हिरासत में लिए गए एक बंदी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए

एक को आगे बढ़ाने के लिए उस पर डाले गए दायित्व के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा गया

सलाहकार बोर्ड को लंबित प्रतिनिधित्व जैसा कि किया गया है

लगातार जयनारायण सुकुल में आयोजित [जयनारायण]

सुकुल वी. डब्ल्यू. बी. राज्य, (1970) 1 एस. सी. सी. 219: 1970 एससीसी (सीआरआई) 92]

और के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही [के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही बनाम। संघ का

भारत, (1991) 1 एससीसी 476: 1991 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613 "

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [हेमंत गुप्ता, जे।]

21. इस अदालत ने माना कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को नहीं भेजा गया था और इसके बजाय इस दौरान खारिज कर दिया गया था सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का लंबित होना। इस प्रकार, न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश था कि बंदी को हिरासत में लिया गया था

संवैधानिक रूप से अमान्य। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 15. जैसा कि स्वीकार किया जाता है, मामले में उपयुक्त सरकार, केंद्र सरकार के पास लंबित हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को नहीं भेजा गया था और इसके बजाय सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खारिज कर दिया गया था, हम यह मानने के लिए विवश हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की नजरबंदी संवैधानिक रूप से अमान्य है। केंद्र सरकार द्वारा बाद में 21-7-2014 पर प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निरोध को बनाए रखने के लिए कोई परिणाम नहीं है। नतीजतन, पुष्टि के क्रम को भी इस विटिएशन द्वारा अप्रमाणित कर दिया जाता है। बहस के उपरोक्त पहलू पर किए गए दृढ़ संकल्प को देखते हुए, हम बंदी की ओर से उठाई गई अन्य याचिकाओं पर विस्तार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। नतीजतन, अपील सफल हो जाती है। विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। निरोध के आदेशों के साथ-साथ पुष्टि के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो बंदी को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

निरोध आदेश को निरस्त करने की मांग करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार किया जा सकता है और निरोध प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो सलाहकार बोर्ड के निर्णय और उपयुक्त द्वारा सिफारिश की स्वीकृति को अस्वीकार करता है। सरकार। निरोध आदेश को निरस्त करने के लिए विचार इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या आदेश कानून के प्रावधानों के अनुरूप है जबकि सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर है

निरोध के लिए पर्याप्त सामग्री, जिसकी या तो पुष्टि की जाती है या उपयुक्त सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है।

23. जब उच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है, तो निरोध आदेश को रद्द करने के अभ्यावेदन पर निर्णय को स्थगित करना निरोध प्राधिकरण के लिए विवेक और औचित्य का विषय होगा। इन 1116 में निरोध प्राधिकरण द्वारा अभ्यावेदन पर विचार

परिस्थितियों को विलंबित नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला सलाहकार मंडल को भेजे जाने के बाद अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

24. अतः, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है। वही खारिज कर दिया जाता है।
देविका गुजराल